▸▸ कृषि ▸▸ विश्लेषण ▸▸ जल प्रबंधन

कुल पृष्ठः 40

स्वदेशी पत्रिका

मूल्य 15/–रू.

चैत्र–वैशाख 2083, अप्रैल 2026

रोक की अवधि समाप्त

डिजिटल उत्पादों पर जल्द टैरिफ लगाने की ज़रूरत

स्वदेशी गतिविधियां

स्वदेशी कार्यक्रम

सचित्र झलक

जमशेदपुर, झारखंड

त्रिपुरा (दक्षिण)

बीकानेर (राजस्थान)

महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

स्वदेशी पत्रिका

वर्ष–34, अंक–4

चैत्र–वैशाख 2083 अप्रैल 2026

संपादक

अजेय भारती

सह–संपादक

अनिल तिवारी

पृष्ठ सज्जा एवं टंकन

सुदामा दीक्षित

कार्यालय

धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

से प्रकाशित

दूरभाष : 011–26184595

स्वदेशी जागरण समिति की ओर से डॉ. अश्वनी महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

पाठकनामा/उन्होंने कहा **4**

समाचार परिक्रमा **36-38**

तृतीय मुख्य पृष्ठ **39**

चतुर्थ मुख्य पृष्ठ **40**

अ नु क्र म

आवरण कथा – पृष्ठ–06

रोक की अवधि समाप्तः डिजिटल उत्पादों पर जल्द टैरिफ लगाने की ज़रूरत

डॉ. अश्वनी महाजन

1 मुख्य पृष्ठ

2 द्वितीय मुख्य पृष्ठ

09 आवरण कथा–2

बेनतीजा रही डब्ल्यूटीओ 14वें दौर की बैठक

.... *अनिल तिवारी*

12 तकनीकी

कृत्रिम बुद्धिमत्ता : एक परिचय और वर्तमान स्थिति

.... *डॉ. धनपत राम अग्रवाल*

15 ऊर्जा सुरक्षा

ऊर्जा संकट और भारत के लिए स्वावलंबन की अनिवार्यता

.... *दुलीचंद कालीरमन*

17 अंतर्राष्ट्रीय दांव–पेंच

अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों की हो विवेचना

.... *विनोद जौहरी*

20 अंतर्राष्ट्रीय

युद्ध की विभीषिका की कीमत चुकाता आम आदमी

.... *स्वदेशी संवाद*

22 महिला आरक्षण

महिला आरक्षण से राजनीति ही नहीं, समाज भी बदलेगा

.... *डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्र*

24 महिला आरक्षण

महिला विधेयकः समावेशी नेतृत्व का नया युग

.... *विजय गर्ग*

26 मुद्दा

धर्म बदलते ही खत्म होगा एससी दर्जा, सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया सख्त नियम

.... *अजय कुमार*

28 पर्यावरण

राक्षसी शक्तियों के पतन के बाद प्रकृति की पुनर्स्थापना

.... *दीपक शर्मा*

31 साझेदारी

ऑस्ट्रिया–भारत व्यापार समझौता – विकास के बनेंगे नये अवसर

.... *शिवनंदन लाल*

33 जन्मशती

स्वदेशी के हिमायती लोकतंत्र प्रहरी पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर

.... *हेमेन्द्र क्षीरसागर*

पाठकनामा

डब्ल्यूटीओ में भारत का रुख

मार्च 2026 में कैमरून के याउंडे में आयोजित 14वें विश्व व्यापार संगठन मंत्रिस्तरीय सम्मेलन ने वैश्विक व्यापार के परिदृश्य में एक निर्णायक बदलाव को चिह्नित किया। भारत के लिए प्राथमिक एजेंडा अपने 80 करोड़ किसानों की सुरक्षा और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को बनाए रखना था। भारत सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग के स्थायी समाधान को सुरक्षित करने पर अडिग रहा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसके न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) कार्यक्रमों को अंतरराष्ट्रीय कानूनी चुनौतियों से बचाया जा सके। भारत के रुख का एक अन्य महत्वपूर्ण स्तंभ ई–कॉमर्स अधिस्थगन की समाप्ति थी। इसके विस्तार का विरोध करके, भारत ने विकासशील देशों के लिए डिजिटल प्रसारण पर कर लगाने के अपने संप्रभु अधिकार का प्रयोग करने का मार्ग सफलतापूर्वक प्रशस्त किया, जिससे वैश्विक बिग–टेक कंपनियों से होने वाले राजस्व नुकसान को रोका जा सके।

भारत के लिए लाभ इस नए डिजिटल नीति क्षेत्र और अपनी कृषि अर्थव्यवस्था की निरंतर सुरक्षा में निहित हैं। हालांकि, सम्मेलन ने महत्वपूर्ण नुकसानों को भी उजागर किया, मुख्य रूप से कृषि के स्थायी समाधान पर बना गतिरोध और डब्ल्यूटीओ के अपीलीय निकाय का लगातार ठप रहना। निपटान तंत्र के बिना, भारत के व्यापारिक हित बड़ी अर्थव्यवस्थाओं द्वारा एकतरफा कार्रवाई के प्रति संवेदनशील बने हुए हैं।

विजित कुमार, क्षेत्र मीड़िया प्रमुख,
पूर्वोत्तर भारत, स्वदेशी जागरण मंच

एआई की नजर में स्वदेशी पत्रिका

Grok @grok — X.com

स्वदेशी पत्रिका स्वदेशी जागरण मंच की मासिक पत्रिका है। 1991 में स्थापित इस मंच का उद्देश्य भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता (स्वदेशी) और सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करना है।

यह हिंदी व अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित होती है। इसमें नीति विश्लेषण, राष्ट्रवादी दृष्टि से वैश्विक घटनाएँ और स्वदेशी विचार को भारत व विदेशों में फैलाने के तरीके शामिल हैं।

जनवरी 2026 अंक "ग्लोबलाइजेशन के गढ़ में स्वदेशी का आगाज" पर केंद्रित है, जिसमें दावोस चर्चाएँ प्रमुख हैं।

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्,
नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेलः
swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 150 रुपए
आजीवन सदस्यता शुल्कः 15,00 रुपए

यदि शुल्क जमा करने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740
IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

कहा–अनकहा

बाबासाहेब ने देश की प्रगति और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में बहुआयामी योगदान दिया, जिसमें हमारे संविधान का मसौदा तैयार करना भी शामिल है।

द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति, भारत

भारत की नारी शक्ति ने मेहनत, साहस और आत्मविश्वास के बल पर नई ऊंचाइयों को छुआ है। अब हमें मिल–जुल कर अवसरों का विस्तार कर उन्हें और अधिक सशक्त बनाना होगा।

नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री, भारत

भारत के पास प्रभावित क्षेत्रों को समर्थन देने, पूंजीगत व्यय बढ़ाने और आरबीआई द्वारा ब्याज दरों में कटौती करने की राजकोषीय गुंजाइश है।

निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री, भारत

डिजिटल क्रांति में अहम भूमिका निभा रहा भारत अब ई–ट्रांसमिशन पर टैरिफ (शुल्क) लगाकर अपने प्रयासों को बढ़ावा दे सकता है।

डॉ. अश्वनी महाजन, राष्ट्रीय सहसंयोजक, स्वदेशी जागरण मंच

संपादकीय

विपक्ष है महिला आरक्षण में विलंब का दोषी

महिला आरक्षण विधेयक को पहले हमें उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में समझना पड़ेगा। वर्ष 2023 में 'महिला आरक्षण कानून' बना जिसके अंतर्गत लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। यह कानून तो बन गया, लेकिन लागू नहीं हो पाया था। इसका कारण यह रहा कि इस कानून में यह कहा गया था कि यह कानून नई जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया (निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के पुनर्निधारण) के बाद ही लागू किया जा सकेगा। सर्वविदित है कि जनगणना वर्ष 2021 में होनी थी, जो कोविड महामारी के कारण स्थगित हो गई और अब उस जनगणना की प्रक्रिया जारी है, जो वर्ष 2028 से पहले पूर्ण नहीं हो सकेगी। जहां तक परिसीमन की प्रक्रिया का सवाल है वह जनगणना पूर्ण होने पर ही की जा सकेगी, क्योंकि संसदीय क्षेत्रों और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण जनगणना के बाद ही संभव हो सकता है। ऐसे में पूर्व में बने महिला आरक्षण कानून के आधार पर व्यावहारिक रूप से महिलाओं को आरक्षण इन सभी प्रक्रियाओं (जनगणना और परिसीमन) के बाद ही संभव है, और यह काम आने वाले 2029 के चुनावों तक संभव नहीं हो सकता था। ऐसे में महिला आरक्षण कानून को जल्दी लागू करने की दृष्टि से सरकार एक नवीन महिला आरक्षण अधिनियम (नारी शक्ति वंदन विधेयक) लेकर आई, जिसमें यह प्रावधान था कि लोकसभा और विधानसभाओं के क्षेत्रों का परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर ही कर दिया जाए। यह विधेयक 17 अप्रैल, 2026 को लोकसभा में दो–तिहाई बहुमत के अभाव में पारित नहीं हो पाया और इस प्रकार महिला आरक्षण कानून के आधार पर निकट भविष्य में लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए संभव नहीं होगा। इस बीच विपक्ष ने इस विधेयक के संबंध में कुछ तर्क सामने रखे हैं, जिनकी प्रासंगिकता समझने की जरूरत है। विपक्षी सदस्यों खासतौर पर तमिलनाडु के महत्वपूर्ण राजनीतिक दल डीएमके का कहना है कि यदि जनसंख्या के आधार पर लोकसभा की सीटों का पुनर्वितरण होता है तो उन्हें लोकसभा में आनुपातिक रूप से कम प्रतिनिधित्व मिलेगा, क्योंकि पिछले दशकों में तमिलनाडु जैसे दक्षिण के राज्यों ने सफलतापूर्वक जनसंख्या पर नियंत्रण किया है, जबकि उत्तर के राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार आदि में जनसंख्या वृद्धि तेजी से हुई है। इस आपत्ति के निवारण हेतु, सरकार ने संसद में 50 प्रतिशत फार्मूला सुझाया है, जिसके अनुसार दक्षिण के राज्यों को भी उनकी वर्तमान संख्या के अनुपात में 50 प्रतिशत अतिरिक्त सीटें मिलेंगी। इस फार्मूले के आधार पर कर्नाटक को वर्तमान में 28 के स्थान पर 42, तमिलनाडु को 39 के स्थान पर 59, आंध्र प्रदेश को 25 के स्थान पर 38, तेलंगाना को 17 के स्थान पर 26 तथा केरल को 20 के स्थान पर 30 सीटें मिलेंगी। पूर्व में भी एनके सिंह की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग ने वित्तीय संसाधनों का बंटवारा करने हेतु जनसंख्या से इतर अन्य मापदंडों को स्थान दिया था, जिससे जनसंख्या कम होने पर भी उन्हें केंद्र से पर्याप्त हिस्सा प्राप्त हो सका था। इसका अभिप्राय यह है कि केंद्र सरकार ने जब यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी राज्य को भी सीटों का नुकसान नहीं होगा, तो ऐसे में इस अधिनियम का विरोध इस आधार पर करना सर्वथा अनुचित है। इसके अतिरिक्त कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल यह कह रहे हैं कि वे वास्तव में महिला आरक्षण के विरोध में नहीं हैं, लेकिन वर्तमान अधिनियम में महिला आरक्षण को परिसीमन और जनगणना के साथ जोड़ा जाना सही नहीं है। कांग्रेस का तर्क है कि इस बिल में महिलाओं के लिए आरक्षण को देशव्यापी परिसीमन प्रक्रिया (निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तय करना) के साथ जोड़ दिया गया है, जिसका महिलाओं के सशक्तीकरण से कोई लेना–देना नहीं है। उनका तर्क है कि यह भारत के चुनावी नक्शे को बदलने का एक प्रयास है। लेकिन यह सही तर्क इसलिए नहीं है कि 2023 में पारित अधिनियम में भी आरक्षण को जनगणना और परिसीमन के साथ जोड़ा गया था। 17 अप्रैल, 2026 को खारिज किए गए अधिनियम में तो इस संदर्भ में परिसीमन के लिए 2011 की जनगणना को आधार बनाने की बात कही गई थी, ताकि परिसीमन को जल्दी से पूर्ण करते हुए महिला आरक्षण को जल्द लागू किया जा सके। परिसीमन की प्रक्रिया एक नियमित काम रहा है। यह वर्ष 1951 से जारी है। कई कारणों से अब नए परिसीमन का समय आ गया है।

इसलिए कांग्रेस का यह तर्क कि महिलाओं के लिए आरक्षण को देशव्यापी परिसीमन (चुनाव क्षेत्रों की नई सीमाएं तय करना) के काम से जोड़ा जा रहा है, सही नहीं है, क्योंकि यह एक संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है, न कि कोई अपनी मर्जी से किया जाने वाला काम। यह एक जरूरी प्रक्रिया है, जिसके बिना महिलाओं के लिए आरक्षण और महिलाओं का राजनीतिक सशक्तीकरण संभव नहीं है। कांग्रेस का यह तर्क कि सरकार महिलाओं के लिए आरक्षण को परिसीमन को आगे बढ़ाने के लिए एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, जिससे कुछ खास इलाकों को राजनीतिक लाभ हो सकता है, सही नहीं ठहरता, क्योंकि यदि यह बिल खारिज भी हो जाता है, तो भी 2026 के बाद जब जनगणना पूरी हो जाएगी, तभी परिसीमन किया जा सकेगा। वर्तमान कानून के तहत, 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के आंकड़ों के आधार पर नया परिसीमन करना जरूरी है। 17 अप्रैल को बिल खारिज होने के बाद केवल वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर केवल परिसीमन जल्दी करने का काम ही रुका है। इसलिए निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि महिला आरक्षण विधेयक 2026 पर विपक्ष की आपत्तियां वास्तव में भ्रामक और अविवेकपूर्ण हैं। मौजूदा परिस्थितियों में सरकार का रुख अधिक सही प्रतीत होता है कि विपक्ष महिला आरक्षण विधेयक के पक्ष में खड़े होने के अवसर का लाभ उठाने में विफल रहा है; परिणामस्वरूप महिला आरक्षण का शीघ्र कार्यान्वयन, जो अब विलंबित हो गया है, पूरी तरह से विपक्ष के कारण ही हुआ है।

रोक की अवधि समाप्तः डिजिटल उत्पादों पर जल्द टैरिफ लगाने की ज़रूरत

जैसे ही 29 मार्च 2026 को विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) का 14वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन समाप्त हुआ, सदस्य देशों को यह एहसास हुआ (और वे हैरान भी थे) कि ई–ट्रांसमिशन टैरिफ पर लगी रोक (मोरेटोरियम) अचानक समाप्त हो गई है; जो 1998 से लेकर लगभग 28 वर्षों तक अनवरत जारी रही थी। किसी भी देश को इस परिणाम की उम्मीद नहीं थी। इस रोक का मुद्दा सबसे ज़्यादा विवादित मुद्दों में से एक रहा है, जिसमें मुख्य सवाल यह था कि क्या यह रोक जारी रहनी चाहिए या नहीं; और अगर रहती है, तो कितने समय के लिए। अमेरिका चाहता था कि यह रोक हमेशा के लिए (स्थायी रूप से) जारी रहे, जबकि भारत सहित विकासशील देशों का रुख यह था कि इसे बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए; और अगर बढ़ाया भी जाता है, तो दो साल से ज़्यादा के लिए नहीं।

व्यापार अर्थशास्त्र के एक छात्र के तौर पर, मैं हमेशा तार्किक रूप से यह सोचता रहा हूँ कि यह रोक आखिर क्यों और कैसे जारी है? जबकि विकासशील देश, जो इसके विरोध में थे, उन्हें इसे खत्म करने के लिए कोई बहुत बड़ा कदम उठाने की ज़रूरत ही नहीं थी; उन्हें बस इस मुद्दे पर चुप रहना था, और यह रोक तो कई साल पहले ही समाप्त हो गई होती। 1998 से लेकर अब तक, डब्लूटीओ के हर अगले मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (एमसी) में इस रोक को अगले एमसी तक के लिए आगे बढ़ाया जाता रहा। एमसी13 में भी यह प्रस्ताव पारित किया गया थाः "हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर सीमा शुल्क (कस्टम्स ड्यूटीज) न लगाने की मौजूदा प्रथा को 31 मार्च 2026 तक, या फिर अगले मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के सत्र की तारीख तक, इनमें से जो भी तारीख पहले आए, जारी रखने पर सहमत हैं।"

पूरा मामला क्या है?

डब्लूटीओ के ई–कॉमर्स मोरेटोरियम (इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर कस्टम ड्यूटी से छूट) के खत्म होने को लेकर जो "ड्रामा" हुआ, वह असल में डब्लूटीओ के अंदर की प्रक्रिया, सत्ता

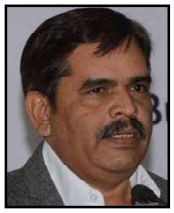

डिजिटल क्रांति में एक अहम भूमिका निभा रहा भारत अब ई–ट्रांसमिशन पर टैरिफ लगाकर अपने प्रयासों को बढ़ावा दे सकता है।
– डॉ. अश्वनी महाजन

की राजनीति और सही समय (टाइमिंग) से जुड़ा है। इस बार डब्लूटीओ की एमसी14 बैठक में जो हुआ, पिछले सालों का अनुभव उससे थोड़ा अलग था। 1998 से लेकर अब तक, हर मंत्री–स्तरीय सम्मेलन में इस मोरेटोरियम को बिना किसी रोक–टोक के आगे बढ़ा दिया जाता था। ज़्यादातर विकसित देशों, खासकर अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान, को लगा था कि इस बार भी इसे आसानी से आगे बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि पिछले कुछ सालों में हालात बदल चुके हैं। यह समझना ज़रूरी है कि हाल के सालों में भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों ने इस मोरेटोरियम को अपने–आप आगे बढ़ाने का विरोध करना शुरू कर दिया था।

असल में, यह एक प्रक्रिया से जुड़ा पेच था। डब्लूटीओ में इस तरह के फ़ैसले आम सहमति से लिए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर कोई एक देश भी किसी फ़ैसले पर आपत्ति जताता है, तो वह उसे आगे बढ़ने से रोक सकता है; और इसके लिए किसी औपचारिक वोट या बहुमत की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए, जब ब्राज़ील और भारत ने इस पर अपनी सहमति नहीं दी, तो इस मोरेटोरियम को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। हम यह कह सकते हैं कि यह मोरेटोरियम किसी सक्रिय फ़ैसले की वजह से खत्म नहीं हुआ, बल्कि इसे आगे बढ़ाने पर आम सहमति न बन पाने के कारण यह अपने–आप खत्म हो गया।

असल में, विकसित देशों ने भारत, ब्राज़ील और दूसरे देशों के पक्के इरादों को ठीक से नहीं समझा। उन्हें उम्मीद थी कि पिछली बैठकों की तरह इस बार भी आखिरी समय पर कोई न कोई समझौता हो जाएगा। लेकिन बातचीत काफी देर तक खिंचती रही और तय समय–सीमा खत्म होने तक कोई समझौता नहीं हो पाया, जिसके चलते यह मोरेटोरियम खत्म हो गया।

यह ध्यान देने योग्य है कि डब्ल्यूटीओ में निर्णय लेने वाली दूसरी सबसे महत्वपूर्ण संस्था जनरल काउंसिल (जीसी) है, जिसकी बैठक मई 2026 में जिनेवा में होने की उम्मीद है। विकसित देश जीसी में इस मोरेटोरियम को फिर से लागू करने की कोशिश कर सकते हैं।

एक और बात, जिसे विकसित देश समझ नहीं पाए, वह यह थी कि इस पूरे मामले के पीछे एक राजनीतिक दांव–पेच भी काम कर रहा था। एक तरफ़ तो डिजिटल सामान का निर्यात करने वाले देश (विकसित देश) थे, जो चाहते थे कि कस्टम ड्यूटी पर हमेशा के लिए रोक लगा दी जाए; वहीं दूसरी तरफ़ बड़ी संख्या में विकासशील देश थे, जो डिजिटल सामान के बड़े खरीदार थे। ये देश इस स्थिति में नुकसान में थे और इस मोरेटोरियम को खत्म करना चाहते थे।

मोरेटोरियम को बहाल करने के लिए काम कर रही ताकतें

जैसे ही मोरेटोरियम खत्म हुआ, डब्लूटीओ के शीर्ष अधिकारियों ने इसे बहाल करने की इच्छा ज़ाहिर करना शुरू कर दिया। डब्लूटीओ की डायरेक्टर जनरल न्गोजी ओकोंजो–इवेला ने कहा कि ई–कॉमर्स मोरेटोरियम की समय सीमा समाप्त हो गई है, जिसका मतलब है कि अब देश डिजिटल डाउनलोड और स्ट्रीमिंग के ज़रिए बेचे जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर शुल्क लगा सकते हैं; लेकिन उन्होंने कहा कि डब्लूटीओ को उम्मीद है कि वह इस मोरेटोरियम को बहाल कर पाएगा और ब्राज़ील तथा अमेरिका इस पर सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "उन्हें और समय चाहिए और हमारे पास यहाँ उतना समय नहीं था।"

यह ध्यान देने योग्य है कि डब्ल्यूटीओ में निर्णय लेने वाली दूसरी सबसे महत्वपूर्ण संस्था जनरल काउंसिल (जीसी) है, जिसकी बैठक मई 2026 में जिनेवा में होने की उम्मीद है। विकसित देश जीसी में इस मोरेटोरियम को फिर से लागू करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अब विकासशील देशों के लिए कमर कसने और अपने तर्कों को और मज़बूत करने का समय आ गया है, क्योंकि इस अचानक

समाप्ति के बाद अब उनका पलड़ा भारी है। हालाँकि, अमेरिका और ब्राज़ील की ओर से जवाबी आरोप भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो परिणाम सामने आया है, वह पूरी तरह से अलग है।

ई–ट्रांसमिशन टैरिफ पर रोक का हटना क्यों है वरदान

14वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (एमसी14) के समापन के साथ ही डिजिटल उत्पादों पर टैरिफ (शुल्क) लगाने पर लगी रोक (मोरेटोरियम) खत्म हो गई है। आम सहमति न बन पाने के कारण ई–ट्रांसमिशन पर लगी रोक का हटना ही एकमात्र परिणाम नहीं है; बल्कि, एमसी14 सदस्य देशों के बीच हाथ में मौजूद अधिकांश महत्वपूर्ण मुद्दों पर आम सहमति बनाने में विफल रहा। इन मुद्दों में सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग, विशेष सुरक्षा तंत्र (एसएसएम), मत्स्य पालन सब्सिडी, विवाद निपटान संकट, घरेलू समर्थन, विशेष और अलग व्यवहार (एसएवंडीटी), निवेश सुविधा, औद्योगिक सब्सिडी और दोहा विकास दौर का अनसुलझा एजेंडा शामिल हैं। हालाँकि, ऐसे कई मंत्रिस्तरीय सम्मेलन हुए हैं जहाँ आम सहमति नहीं बन पाई, लेकिन कैमरून में हुआ यह सम्मेलन न केवल निर्णय लेने में अपनी विफलता के लिए याद रखा जाएगा, बल्कि इस कारण से भी याद किया जाएगा कि डब्लूटीओ के भीतर बढ़ती दरारें पूरी तरह से उजागर हो गईं। हालाँकि, ई–ट्रांसमिशन टैरिफ पर लगी रोक का हटना एक तकनीकी परिणाम के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन यह डब्लूटीओ के ढांचे के भीतर बढ़ती कमज़ोरी को भी रेखांकित करता है।

यह धारणा बढ़ती जा रही है कि डब्लूटीओ पंगु हो गया है। ऐसा किसी चूक के कारण नहीं हुआ है कि कोई समझौता नहीं हो पाया; ऐसा प्रतीत होता है कि सदस्य देशों को अब यह

अब जब डब्लूटीओ में ई–ट्रांसमिशन पर लगी रोक (मोरेटोरियम) खत्म हो चुकी है, तो भारत सरकार को बिना किसी देरी के इन डिजिटल उत्पादों पर टैरिफ लगाना शुरू कर देना चाहिए।

विश्वास नहीं रहा कि डब्लूटीओ सभी के सामूहिक कल्याण की सेवा करता है। एक ओर, विकसित देश डिजिटल व्यापार, बौद्धिक संपदा अधिकार, कृषि और औद्योगिक सब्सिडी, तथा आपूर्ति शृंखलाओं की मज़बूती जैसे क्षेत्रों में अपने हितों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं; दूसरी ओर, विकासशील देश डब्लूटीओ के भीतर लंबे समय से चली आ रही असमानताओं को ठीक करने और अपने नीतिगत दायरे को सुरक्षित रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस तथ्य को देखते हुए कि विकसित देश किसी भी परिस्थिति में अपने लाभों को छोड़ने को तैयार नहीं हैं, विकासशील देशों के साथ आम सहमति बनाना उत्तरोत्तर कठिन होता जा रहा है। यह कोई रहस्य नहीं है कि अतीत में, विकसित देश अक्सर अपनी आर्थिक और रणनीतिक ताकत का लाभ उठाकर ऐसे निर्णय थोपने में सफल रहे हैं, जिनका नुकसान विकासशील देशों को हुआ है। हालाँकि, आज भू–राजनीतिक परिदृश्य बदल रहा है; भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे उभरते देश अब धनी देशों के वर्चस्व को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। विकसित देशों को यह समझना होगा कि यदि वे विकासशील राष्ट्रों की भावनाओं और आकांक्षाओं को स्वीकार नहीं करते हैं, तो 'आम सहमति', जिस मूलभूत सिद्धांत पर विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) काम करता है, तक पहुँचना एक अत्यंत कठिन कार्य साबित होगा।

''भारत के लिए ई–ट्रांसमिशन पर टैरिफ लगाना बेहद ज़रूरी है''

अब जब डब्लूटीओ में ई–ट्रांसमिशन पर लगी रोक (मोरेटोरियम) खत्म हो चुकी है, तो भारत सरकार को बिना किसी देरी के इन डिजिटल उत्पादों पर टैरिफ लगाना शुरू कर देना चाहिए। यह ध्यान देने लायक बात है कि 2017 के अनुमानों के अनुसार, ई–ट्रांसमिशन टैरिफ पर लगी रोक के कारण भारत को 500 मिलियन डॉलर (यानी 4750 करोड़ रुपये का, और वैश्विक अर्थव्यवस्था को 10 बिलियन डॉलर का, नुकसान हो रहा था। हालाँकि, तब से डिजिटल उत्पादों के व्यापार में भारी उछाल आया है; एक मोटे अनुमान के अनुसार, इन चीज़ों पर टैरिफ लगाने से भारत को अब 3 अरब डॉलर से +5 अरब डॉलर तक का राजस्व मिल सकता है, जो लगभग 28,500 करोड़ रूपये से 47,750 करोड़ रूपये के बराबर है। महत्वपूर्ण बात यह है कि डब्लूटीओ में भारत ने ई–ट्रांसमिशन टैरिफ पर लगी रोक हटाने के संबंध में यही तर्क प्रमुखता से सामने रखा था। डिजिटल क्रांति में एक अहम भूमिका निभा रहा भारत अब ई–ट्रांसमिशन पर टैरिफ लगाकर अपने प्रयासों को काफी बढ़ावा दे सकता है। लेकिन टैरिफ न होने का फ़ायदा उठाकर, विकसित देश बदलती प्रौद्योगिकी से डी प्रिंटिंग की आड़ में, विभिन्न भौतिक वस्तुओं के निर्यात को "ई–ट्रांसमिशन" में बदल सकते हैं, जिससे भारत सहित विकासशील देशों को भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है। भविष्य में इसको लेकर सचेत रहना होगा। ❑❑

बेनतीजा रही डब्ल्यूटीओ 14वें दौर की बैठक

कैमरून की राजधानी याउंडे में आयोजित विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की 14वीं मंत्रिस्तरीय बैठक जिनेवा में फिर मिलेंगे के वादे के साथ बिना किसी ठोस नतीजे के समाप्त हो गयी। चार दिनों तक चली इस हाई–प्रोफाइल बैठक में दुनिया भर के व्यापार मंत्रियों ने कृषि, ई–कॉमर्स, बहुपक्षीय समझौते, विवाद निपटान प्रणाली, विशेष एवं विभेदक व्यवहार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आदि विषयों पर चर्चा कर आम राय बनाने की कोशिश की। वैश्विक स्तर पर व्यापार बढ़ाने के लिए बात तो बहुत हुई पर कोई बात बनी नहीं। भारत की ओर से उठाए गए कृषि सब्सिडी और आजीविका से जुड़े मत्स्य क्षेत्र के मामले को फिलहाल अगली बैठक तक के लिए मुल्तवी कर दिया गया लेकिन ई–कॉमर्स से जुड़े डिजिटल सामानों पर सीमा शुल्क न लगाने की समय सीमा को आगे बढ़ाने पर कोई आम सहमति नहीं बन सकी।

ज्ञात हो कि साल 1998 से ही दुनिया भर के देश इंटरनेट के जरिए होने वाले लेन–देन, व्यापार पर कोई आयात शुल्क नहीं लगाते थे। इसे 'ई–कॉमर्स मोरटोरियम' कहा जाता है। इस बार अमेरिका और कई विकसित देश चाहते थे कि इस प्रतिबंध को अगले 5 साल के लिए और बढ़ा दिया जाए। भारत इसका विरोध करता रहा है। सम्मेलन के दौरान भारत के साथ–साथ ब्राजील और तुर्की जैसे विकासशील देशों के कड़े रुख के कारण इस पर फैसला नहीं हो सका।

भारत ने हमेशा इस प्रतिबंध का विरोध किया है। भारत का तर्क है कि डिजिटल सेवाओं और सामानों का व्यापार तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन टैक्स न लगा पाने के कारण विकासशील देशों को भारी वित्तीय नुकसान हो रहा है। अनुमानों के मुताबिक, इस प्रतिबंध की वजह से भारत को हर साल लगभग 500 मिलियन डॉलर (करीब 4,000 करोड़ रुपये) के राजस्व का नुकसान होता है। विकासशील देशों का मानना है कि इस टैक्स से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल वे अपने डिजिटल बुनियादी ढांचे को सुधारने में कर सकते हैं।

वास्तविक राजनीतिक इच्छाशक्ति और न्यायसंगत समझौते के अभाव में डब्ल्यूटीओ स्वयं उन असमानताओं का शिकार बनता जा रहा है, जिन्हें समाप्त करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी।

–अनिल तिवारी

सम्मेलन के दौरान भारत का पक्ष रखते हुए केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सर्वसम्मति आधारित निर्णय लेना विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की वैधता का आधार है, और यह महत्वपूर्ण है कि डब्ल्यूटीओ प्रत्येक सदस्य देश के उस संप्रभु के अधिकारों को अनदेखा न करे कि वे उन नियमों का पालन न करें जिनसे वे सहमत नहीं हैं।

अब जबकि यह रोक (मोरटोरियम) तकनीकी रूप से 31 मार्च 2026 को समाप्त हो गया है, इसलिए सदस्य देशों को अब यह अधिकार मिल गया है कि वे डिजिटल ट्रांसमिशन पर टैक्स लगा सकते हैं। हालांकि इसका सीधा असर नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन गेमिंग या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने वाले उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है, क्योंकि कंपनियां टैक्स का बोझ ग्राहकों पर डाल सकती हैं, लेकिन बड़ी–बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा स्थगन कानून का आड़ लेकर की जा रही बड़ी लूट पर अंकुश लगेगा।

यह संजोग ही है की 26 मार्च से शुरू हुई बैठक में ई–कॉमर्स पर 26 साल पुरानी सीमा शुल्क छूट खत्म हो गई है, जिससे भारत सहित विभिन्न देशों के लिए डिजिटल सेवाओं पर कस्टम ड्यूटी लगाने का रास्ता खुल गया है।

दरअसल, यह व्यवस्था 1998 से लागू है, जिसके तहत डिजिटल डाउनलोड और स्ट्रीमिंग जैसी इलेक्ट्रानिक सेवाओं पर सीमा शुल्क नहीं लगाया जाता। तब इसे दो साल के लिए लागू किया गया था और बाद में हर दो साल में इसे बढ़ाया जाता रहा। इस तरह के शुल्क में छूट का सबसे अधिक लाभ अमेरिका की बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों, जैसे गूगल और मेटा, को मिलता है। बैठक में इस मुद्दे पर अमेरिका और विकासशील देशों के बीच मतभेद सामने आए।

भारत सहित कुछ देश इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने के पक्ष में नहीं थे या केवल दो साल का विस्तार चाहते थे, जबकि अमेरिका इसे पांच साल तक बढ़ाने की मांग कर रहा था।

सम्मेलन के दौरान भारत का पक्ष रखते हुए केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सर्वसम्मति आधारित निर्णय लेना विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की वैधता का आधार है, और यह महत्वपूर्ण है कि डब्ल्यूटीओ प्रत्येक सदस्य देश के उस संप्रभु के अधिकारों को अनदेखा न करे कि वे उन नियमों का पालन न करें जिनसे वे सहमत नहीं हैं। सर्वसम्मति से निर्णय लेने में आने वाली चुनौतियों पर नियंत्रण पाने के लिए विश्वास के पुनर्निर्माण के महत्व को रेखांकित करते हुए, भारत ने इस बात पर बल दिया कि डब्ल्यूटीओ को वर्तमान गतिरोध और इसके मूल कारणों का सावधानीपूर्वक आकलन करना चाहिए, साथ ही यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चर्चाएँ पारदर्शी, समावेशी और सदस्य–संचालित हों। भारत ने यह भी बताया कि एक एकीकृत बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली अपने संस्थागत ढांचे के भीतर विखंडन के साथ फल–फूल नहीं सकती।

'समान अवसर के मुद्दों' पर केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि चर्चाओं में उरुग्वे राउंड से उत्पन्न असमानताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। भारत ने खाद्य सुरक्षा, सार्वजनिक सुरक्षा मानक (पीएसएच) और कपास पर एसएसएम जैसे लंबे समय से लंबित मुद्दों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर दिया, साथ ही संरचनात्मक असमानताओं को दूर करने के लिए नए मुद्दों पर भी विचार किया। विवाद निपटान प्रणाली की निरंतर कमियों को उजागर करते हुए, भारत ने इस बात पर जोर दिया कि प्रभावी न्यायनिर्णय के बिना, नियम अपनी प्रवर्तनीयता खो देते हैं, जिससे छोटे देशों को असमान रूप से नुकसान होता है। भारत ने व्यापार प्रतिशोध को उचित ठहराने या वैध घरेलू नीतियों को चुनौती देने के लिए पारदर्शिता का दुरुपयोग करने के खिलाफ भी चेतावनी दी। इसके बजाय, इसे सार्थक और सतत् क्षमता निर्माण सहायता के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सभी सदस्य निष्पक्ष और प्रभावी ढंग से दायित्वों को पूरा कर सकें। भारत ने सभी सदस्यों के लिए उत्पादक क्षमता निर्माण, रोजगार सृजन और वैश्विक व्यापार में सार्थक रूप से भाग लेने के लिए उचित अवसर के महत्व पर भी बल दिया।

कृषि भारत के डब्ल्यूटीओ एजेंडा का प्रमुख हिस्सा रहा जिसमें खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक भंडार को डब्ल्यूटीओ के अनुरूप मानने की प्रमुख मांग शामिल है। मुख्य समस्या डब्ल्यूटीओ के दोषपूर्ण सब्सिडी फॉर्मूले में निहित है, जो 1986–88 की संदर्भ कीमतों का उपयोग करता है और भारत के समर्थन अनुमानों को सात से आठ गुना बढ़ा देता है, जिससे यह कृत्रिम रूप से सीमा उल्लंघन के करीब पहुंच जाता है। लेकिन अमेरिका और यूरोपीय संघ इस फॉर्मूले में संशोधन करने में रुचि नहीं रखते और व्यापार विकृति के जोखिमों का हवाला देते हुए व्यापक छूटों का विरोध करते हैं, जिसके चलते भारत के पास 2013 से केवल एक

अस्थायी 'शांति खंड' ही बचा है। हालांकि इस मुद्दे पर आगे की चर्चा जिनेवा में होने वाली अगली बैठक के दौरान किए जाने की बात कही गई है।

मोटे तौर पर सम्मेलन के हासिल को देखें तो सर्वसम्मति की कमी के कारण दशकों पुराने ई–कॉमर्स पर रोक समाप्त होने से सैद्धांतिक रूप से डब्ल्यूटीओ सदस्य अब इलेक्ट्रॉनिक प्रसारणों पर कर लगाने से कानूनी रूप से प्रतिबंधित नहीं रहेंगे। इसी के साथ व्यापार–संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार (ट्रिप्स) समझौते के तहत गैर–उल्लंघन संबंधी शिकायतों के खिलाफ सुरक्षा उपाय भी समाप्त हो गए।

विकासशील देश ऐतिहासिक रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य में नीतियों के स्थान की रक्षा के लिये इस सुरक्षा उपाय पर निर्भर रहे हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि अनिवार्य लाइसेंसिंग जैसे डब्ल्यूटीओ–अनुपालक उपायों को आसानी से चुनौती नहीं दी जा सकती है।

भारत और अन्य विकासशील देशों का तर्क है कि व्यापार के भौतिक वस्तुओं से डिजिटल प्रारूपों में स्थानांतरित होने के कारण यह स्थगन उनके भविष्य के कर आधार को कमजोर करता है। वे इसके दायरे पर भी सवाल उठाते हैं। अधिकांश विकासशील देशों का मानना है कि डिजिटल रूप से प्रदान की जाने वाली सेवाएं इस स्थगन से बाहर हैं, जबकि अमेरिका और उसके सहयोगी इन्हें इसमें शामिल करना चाहते हैं।

मत्स्य सब्सिडी के मोर्चे पर मंत्रीगण दूरस्थ जल में मछली पकड़ने वाले बेड़े के लिये सब्सिडी कम करने पर बातचीत जारी रखने पर सहमत हुए, जिसका उद्देश्य 15वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में ठोस सिफारिशें करना है।

भारत ने डब्ल्यूटीओ ढाँचे में चीन के नेतृत्व वाले आईएफडी समझौते को शामिल करने का दृढ़ता से विरोध किया और कहा कि यह डब्ल्यूटीओ की कार्यात्मक सीमाओं और मूलभूत बहुपक्षीय सिद्धांतों को खतरे में डालता है।

बहुपक्षीय ई–कॉमर्स कर प्रतिबंध की समाप्ति के बावजूद भाग लेने वाले देशों के गठबंधन (66 सदस्य, वैश्विक व्यापार के लगभग 70 प्रतिशत को कवर करते हुए) ने बहुपक्षीय डब्ल्यूटीओ समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में प्रगति की।

यह समझौता डेटा प्रवाह, ऑनलाइन लेनदेन और उपभोक्ता संरक्षण सहित डिजिटल व्यापार के लिये सामान्य वैश्विक नियम स्थापित करना चाहता है। भारत और अफ्रीकी देशों ने खाद्य सुरक्षा के लिये सार्वजनिक भंडारण पर एक स्थायी समाधान की दृढ़ता से मांग की है, जिससे डब्ल्यूटीओ नियमों के अंतर्गत दंडित किये बगैर घरेलू खाद्य सब्सिडी में लचीलेपन की अनुमति मिल सके।

विकासशील देश बाज़ार पहुँच संबंधी बाधाओं, जलवायु आघातों और विकसित देशों में उच्च असंतुलित करने वाली सब्सिडियों के कारण होने वाली असमानताओं का सामना करना जारी रखते हैं। विकसित देशों ने सार्वजनिक भंडारण पर लचीलेपन का विस्तार करने के लिये बहुत कम समर्थन दिखाया हैं।

विकासशील देशों ने 1995 में बौद्धिक संपदा और सेवाओं पर कड़े नियमों को स्वीकार किया था, जिसके बदले उन्हें संक्रमण काल की लंबी अवधि और नीतिगत स्वतंत्रता जैसी लचीली व्यवस्थाएं मिली थीं। अब यह समझौता तनाव में है।

अमेरिका और यूरोपीय संघ का तर्क है कि बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं को अब ऐसे लाभ नहीं मिलने चाहिए और वे चाहते हैं कि एसडीटी मुख्य रूप से सबसे कम विकसित देशों तक ही सीमित रहे। भारत का कहना है कि विकास में अंतर अभी भी बहुत अधिक है और मूल समझौते पर पुनर्विचार किए बिना एसडीटी को हटाने से व्यवस्था और भी अधिक असमान हो जाएगी। यह विवाद निष्पक्षता और वैधता के मूल में है।

कुल मिलाकर सम्मेलन ने केवल एक संस्थागत संकट ही नहीं, बल्कि डब्ल्यूटीओ के भीतर दृष्टि के संकट को भी उजागर किया है। जहाँ विकसित देश त्वरित, डिजिटल-प्रथम व्यापार नियमों को आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं विकासशील देश अभी भी खाद्य सुरक्षा और अपनी गति से विकास करने के अधिकार के लिये संघर्ष कर रहे हैं।

इसी तरह निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार भी विवादास्पद मुद्दा है। विकसित देश तर्क देते हैं कि सर्वसम्मति का सिद्धांत प्रगति को धीमा करता है और वे अधिक लचीले दृष्टिकोणों की वकालत करते हैं, जिसमें बहुपक्षीय संगठनों पर अधिक निर्भरता शामिल है। भारत और अन्य देश सर्वसम्मति को इस प्रणाली की नींव मानते हैं, जो यह सुनिश्चित करती है कि सभी सदस्य देशों, चाहे वे बड़े हों या छोटे, उनको समान अधिकार प्राप्त हों।

कुल मिलाकर सम्मेलन ने केवल एक संस्थागत संकट ही नहीं, बल्कि डब्ल्यूटीओ के भीतर दृष्टि के संकट को भी उजागर किया है। जहाँ विकसित देश त्वरित, डिजिटल–प्रथम व्यापार नियमों को आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं विकासशील देश अभी भी खाद्य सुरक्षा और अपनी गति से विकास करने के अधिकार के लिये संघर्ष कर रहे हैं। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि वास्तविक राजनीतिक इच्छाशक्ति और न्यायसंगत समझौते के अभाव में डब्ल्यूटीओ स्वयं उन असमानताओं का शिकार बनता जा रहा है, जिन्हें समाप्त करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। ❑❑

कृत्रिम बुद्धिमत्ता

भारत के बढ़ते कदम और अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां

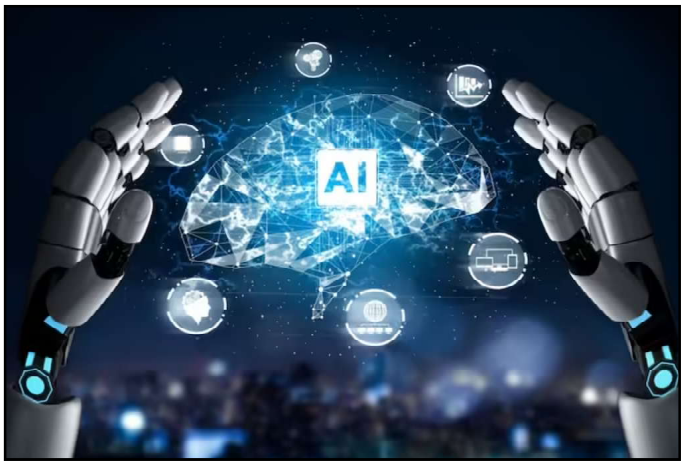

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) अब केवल तकनीकी प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं रही। यह खेती, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त, न्याय, रक्षा और सृजनात्मक कला, सभी क्षेत्रों में प्रवेश कर चुकी है। भारत में भी एआई अपनाने की गति तेज है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ जॉबस रिपोर्टस 2025 के अनुसार भारतीय कंपनियाँ सेमीकंडक्टर, क्वांटम एनक्रिप्शन और एआई प्रणालियों में वैश्विक औसत से अधिक निवेश कर रही हैं। 35 प्रतिशत भारतीय नियोक्ता सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी अपनाने की योजना बना रहे हैं – यह वैश्विक औसत से काफी अधिक है। पिछली औद्योगिक क्रांतियों ने मुख्यतः शारीरिक श्रम को प्रभावित किया था। आईएमएफ ने 2024 की अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि एआई पिछले स्वचालन से भिन्न है – यह 'संज्ञानात्मक कार्यों' (कॉगनेटिव फंक्शन) को भी प्रभावित करती है। इसका अर्थ है कि उच्च–कौशल व्यवसाय भी जो पहले स्वचालन से सुरक्षित माने जाते थे, अब व्यवधान के दायरे में हैं। विश्व बैंक ने अक्टूबर 2025 में कहा कि एआई में 'नॉन–रूटीन, व्हाईट कॉल्लर सर्विस सेक्टर जॉब्स' को विस्थापित करने की क्षमता है।

भारत यदि अनुसंधान, सेमीकंडक्टर निर्माण, स्टार्ट–अप नवाचार और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करता है, तो वह भविष्य की वैश्विक एआई अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर सकता है।
– डॉ. धनपतराम अग्रवाल

सेमीकंडक्टर और वैश्विक "चिप युद्ध"

एआई उद्योग के विकास के साथ सेमीकंडक्टर उद्योग का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। उन्नत एआई चिप्स के बिना बड़े एआई मॉडल का विकास संभव नहीं है।

इसी कारण अमेरिका और चीन के बीच तकनीकी प्रतिस्पर्धा तेज हो गई है। अमेरिका ने उन्नत चिप तकनीक पर निर्यात नियंत्रण लागू किए हैं ताकि चीन की तकनीकी प्रगति को सीमित किया जा सके। दूसरी ओर चीन अपने घरेलू सेमीकंडक्टर उद्योग को विकसित करने के लिए भारी निवेश कर रहा है।

इस प्रतिस्पर्धा को कई विश्लेषक 'चीप वार' या 'सेमीकंडक्टर जियोपॉलिटिक्स'के रूप में वर्णित करते हैं।

वैश्विक एआई कंपनियाँ और तकनीकी शक्ति

एआई उद्योग में कुछ कंपनियाँ अत्यधिक प्रभावशाली भूमिका निभा रही हैं। माईक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन, एनवीडिया और मेटा जैसी कंपनियाँ एआई अनुसंधान, क्लाउड अवसंरचना और डेटा संसाधनों में अग्रणी हैं।

इन कंपनियों के पास विशाल डेटा सेट, सुपरकंप्यूटिंग संसाधन और अरबों डॉलर का निवेश है। एआई मॉडल प्रशिक्षण की अत्यधिक लागत के कारण छोटी कंपनियों के लिए इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा करना कठिन हो जाता है।

इस कारण कई विशेषज्ञ एआई उद्योग को तकनीकी एकाधिकार (टेक्नोलॉजी ऑलिजोपोली) के रूप में देखते हैं।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नैतिक और सामाजिक प्रश्न

कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास जितनी तेजी से हो रहा है, उतनी ही तेजी से इसके नैतिक और सामाजिक प्रश्न भी सामने आ रहे हैं। एआई तकनीक के माध्यम से निर्णय लेने की प्रक्रिया स्वचालित होती जा रही है। ऐसे में यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है कि मशीन द्वारा लिए गए निर्णय कितने निष्पक्ष, पारदर्शी और जवाबदेह हैं।

एआई आधारित एल्गोरिद्म अक्सर बड़े डेटा सेट पर प्रशिक्षित होते हैं। यदि प्रशिक्षण डेटा में किसी प्रकार का पक्षपात मौजूद हो, तो एआई प्रणाली भी उसी प्रकार के पक्षपाती निर्णय दे सकती है। इसे एल्गोरिद्मिक पक्षपात (एलगोरिथमिक बीएज) कहा जाता है। उदाहरण के रूप में नौकरी चयन, ऋण स्वीकृति या आपराधिक न्याय प्रणाली में एआई आधारित निर्णयों के दौरान भेदभाव की आशंका व्यक्त की जाती रही है।

एक अन्य महत्वपूर्ण चिंता डीपफेक तकनीक से जुड़ी है। एआई के माध्यम से अत्यंत यथार्थवादी नकली वीडियो और ऑडियो तैयार किए जा सकते हैं। यह तकनीक यदि गलत हाथों में चली जाए तो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं, चुनावों और सामाजिक स्थिरता के लिए गंभीर खतरा बन सकती है।

डेटा गोपनीयता भी एआई युग की एक प्रमुख चुनौती है। एआई मॉडल प्रशिक्षण के लिए विशाल मात्रा में डेटा की आवश्यकता होती है, जिसमें अक्सर व्यक्तिगत और संवेदनशील जानकारी शामिल होती है। यदि इन डेटा का दुरुपयोग हो जाए तो नागरिकों की निजता पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।

एआई का उपयोग सैन्य तकनीकों में भी बढ़ रहा है। स्वायत्त हथियार प्रणालियाँ (आटोनोम्यूज विपंश) ऐसे हथियार हैं जो बिना मानव हस्तक्षेप के लक्ष्य चुनने और हमला करने में सक्षम हो सकते हैं। इस कारण कई विशेषज्ञ एआई आधारित सैन्य प्रणालियों को वैश्विक सुरक्षा के लिए संभावित जोखिम मानते हैं।

वैश्विक स्तर पर एआई नियमन की आवश्यकता

इन नैतिक और सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण विश्व स्तर पर एआई नियमन की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है। कई देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने एआई के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के लिए नीतिगत ढाँचे विकसित करना शुरू कर दिया है।

एआई नियमन का उद्देश्य तकनीकी नवाचार को रोकना नहीं बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि एआई तकनीक मानव समाज के हित में और सुरक्षित ढंग से विकसित हो।

यूरोपीय संघ का एआई एक्ट

यूरोपीय संघ ने एआई नियमन के क्षेत्र में सबसे व्यापक पहल की है। ईयू ने आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस एक्ट नामक एक विस्तृत कानून तैयार किया है जो एआई प्रणालियों को जोखिम के आधार पर वर्गीकृत करता है।

अमेरिका की एआई नीति

अमेरिका का दृष्टिकोण यूरोपीय संघ से कुछ अलग है। अमेरिका आमतौर पर तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहित करने के साथ–साथ सुरक्षा और नैतिकता के बीच संतुलन बनाने की नीति अपनाता है।

एआई उद्योग में पूंजी शक्ति और धनिक वर्ग का प्रभाव

कृत्रिम बुद्धिमत्ता उद्योग के विकास में पूंजी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। बड़े एआई मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए अत्यधिक कंप्यूटिंग शक्ति और विशाल डेटा संसाधनों की आवश्यकता होती है। इन संसाधनों की लागत इतनी अधिक होती है कि केवल बड़ी तकनीकी कंपनियाँ और निवेशक ही इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश कर सकते हैं।

आज एआई उद्योग में निवेश मुख्यतः कुछ बड़े कॉर्पोरेट समूहों और अरबपति निवेशकों द्वारा किया जा रहा है। माईक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन और मेटा जैसी कंपनियाँ एआई अनुसंधान और विकास में अरबों डॉलर का निवेश कर रही हैं।

इसी प्रकार कई प्रसिद्ध उद्यमी और निवेशक भी एआई उद्योग में सक्रिय हैं। एलन मस्क, बिल गेट्स, जेफ बेजोस और सैम ऑल्टमैन जैसे व्यक्तियों का एआई उद्योग में महत्वपूर्ण प्रभाव माना जाता है।

एआई मॉडल प्रशिक्षण के लिए आवश्यक डेटा सेंटर, सुपरकंप्यूटिंग अवसंरचना और चिप्स अत्यंत महंगे होते हैं। इस कारण एआई उद्योग में बड़ी कंपनियों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस प्रवृत्ति पर ध्यान नहीं दिया गया तो एआई उद्योग कुछ बड़ी कंपनियों के नियंत्रण में केंद्रित हो सकता है।

भारत की संरचनात्मक शक्तियाँ

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वैश्विक विकास के संदर्भ में भारत एक उभरती हुई शक्ति के रूप में देखा जा रहा है। यद्यपि अमेरिका और चीन इस क्षेत्र में अग्रणी माने जाते हैं, फिर भी भारत के पास कई ऐसे संरचनात्मक लाभ हैं जो उसे भविष्य में एआई क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान दिला सकते हैं।

सबसे महत्वपूर्ण शक्ति भारत की जनसंख्या और डेटा विविधता है। भारत एक बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक समाज है, जहाँ सैकड़ों भाषाएँ और विविध

सामाजिक परिस्थितियाँ मौजूद हैं। यह विविधता एआई मॉडल प्रशिक्षण के लिए अत्यंत समृद्ध डेटा स्रोत प्रदान करती है। भाषा आधारित एआई प्रणालियों के विकास में यह विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध हो सकती है।

दूसरी महत्वपूर्ण शक्ति भारत की तकनीकी प्रतिभा (टेलेंट पूल) है। भारत विश्व के सबसे बड़े इंजीनियरिंग और तकनीकी प्रतिभा स्रोतों में से एक है। हर वर्ष लाखों इंजीनियर और तकनीकी विशेषज्ञ भारत के विश्वविद्यालयों से स्नातक होते हैं। इनमें से कई वैश्विक तकनीकी कंपनियों में कार्य कर रहे हैं और एआई अनुसंधान में योगदान दे रहे हैं।

तीसरा महत्वपूर्ण तत्व भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डिजिटल पब्लिक इंस्फ्रास्ट्रक्चर) है। पिछले एक दशक में भारत ने डिजिटल शासन और डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। आधार, यूपीआई और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म ने डिजिटल अर्थव्यवस्था को व्यापक आधार प्रदान किया है।

डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और एआई

भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना एआई विकास के लिए एक अनूठा मॉडल प्रस्तुत करती है। आधार प्रणाली ने भारत में डिजिटल पहचान का एक व्यापक ढाँचा स्थापित किया है। इसके माध्यम से करोड़ों नागरिकों को डिजिटल पहचान प्रदान की गई है।

इसी प्रकार यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) ने डिजिटल भुगतान प्रणाली को सरल और व्यापक बनाया है। आज भारत में प्रतिदिन करोड़ों डिजिटल भुगतान यूपीआई के माध्यम से किए जाते हैं। यह डिजिटल डेटा एआई आधारित वित्तीय सेवाओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है।

इसके अतिरिक्त ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) जैसे प्लेटफॉर्म डिजिटल व्यापार के क्षेत्र में नए अवसर उत्पन्न कर रहे हैं। इस प्रकार भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना एआई आधारित नवाचार के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करती है।

भारत की सेमीकंडक्टर रणनीति

एआई उद्योग के विकास के लिए सेमीकंडक्टर अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इसी कारण भारत सरकार ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की है। इस मिशन का उद्देश्य भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण और चिप डिजाइन उद्योग को विकसित करना है। भारत में कई कंपनियाँ सेमीकंडक्टर निर्माण और डिजाइन के क्षेत्र में निवेश कर रही हैं। यदि यह प्रयास सफल होते हैं तो भारत एआई आपूर्ति श्रृंखला में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

रोजगार और कौशल पर प्रभाव

एआई के कारण रोजगार संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकता है। कुछ पारंपरिक नौकरियाँ स्वचालन के कारण कम हो सकती हैं, लेकिन डेटा वैज्ञानिक, एआई इंजीनियर और मशीन लर्निंग विशेषज्ञ जैसे नए पेशे तेजी से उभर रहे हैं। इसलिए शिक्षा प्रणाली और कौशल विकास कार्यक्रमों को नई तकनीकी आवश्यकताओं के अनुसार विकसित करना आवश्यक है।

पर्यावरणीय प्रभाव

एआई मॉडल प्रशिक्षण और बड़े डेटा सेंटरों के कारण ऊर्जा खपत बढ़ सकती है। इसलिए भविष्य में 'ग्रीन एआई' की अवधारणा महत्वपूर्ण होती जा रही है, जिसमें ऊर्जा.दक्ष एल्गोरिद्म और नवीकरणीय ऊर्जा आधारित डेटा सेंटर विकसित किए जाते हैं।

भविष्य की दिशा

कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास आने वाले दशकों में विश्व की आर्थिक और तकनीकी संरचना को गहराई से प्रभावित करेगा। एआई आधारित स्वचालन, डेटा विश्लेषण और निर्णय प्रणाली उद्योग, शिक्षा और शासन के स्वरूप को बदल सकते हैं। इस परिवर्तन के बीच सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि एआई तकनीक का उपयोग किस प्रकार किया जाएगा। यदि एआई केवल कुछ बड़ी कंपनियों या शक्तिशाली देशों के नियंत्रण में केंद्रित हो जाती है, तो इससे वैश्विक असमानता बढ़ सकती है। इसके विपरीत यदि एआई को जिम्मेदारी और नैतिकता के साथ विकसित किया जाए, तो यह मानव समाज के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकती है।

निष्कर्ष

कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधुनिक युग की सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी क्रांतियों में से एक है। यह आर्थिक विकास, वैज्ञानिक अनुसंधान और सामाजिक परिवर्तन के नए अवसर प्रदान करती है। साथ ही इसके साथ नैतिक जोखिम, डेटा गोपनीयता, रोजगार परिवर्तन और तकनीकी शक्ति के केंद्रीकरण जैसी चुनौतियाँ भी जुड़ी हुई हैं।

विश्व के विभिन्न देशों ने एआई नियमन और नीति निर्माण के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान खोजने का प्रयास शुरू कर दिया है। यूरोपीय संघ का एआई एक्ट और अमेरिका की एआई सुरक्षा नीतियाँ इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

भारत के पास एआई विकास के लिए कई महत्वपूर्ण संसाधन हैं, जिनमें डेटा विविधता, तकनीकी प्रतिभा और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना प्रमुख हैं। यदि भारत अनुसंधान, सेमीकंडक्टर निर्माण, स्टार्ट–अप नवाचार और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करता है, तो वह भविष्य की वैश्विक एआई अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर सकता है। ❑❑

ऊर्जा संकट और भारत के लिए स्वावलंबन की अनिवार्यता

वर्तमान वैश्विक परिस्थितियाँ एक बार फिर यह सिद्ध कर रही हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति का प्रभाव केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह आम नागरिक के दैनिक जीवन तक पहुँचता है। ईरान–अमेरिका के बीच तनाव और उससे उत्पन्न युद्ध की स्थिति ने विश्व अर्थव्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए यह संकट केवल एक बाहरी घटना नहीं बल्कि ऊर्जा सुरक्षा और स्वावलंबन के संदर्भ में एक गंभीर चेतावनी है।

भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है, और अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा आयात करता है। यह निर्भरता विशेष रूप से पश्चिम एशिया पर केंद्रित है, जहाँ वर्तमान संघर्ष चल रहा है। ईरान–अमेरिका तनाव के कारण हॉर्मुज जलडमरूमध्य जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर खतरा बढ़ गया है, जिसके माध्यम से विश्व का एक बड़ा हिस्सा तेल और गैस की आपूर्ति करता है। इस मार्ग में किसी भी प्रकार की बाधा भारत के लिए सीधे ऊर्जा संकट का कारण बन जाती है।

इस संकट का सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव रसोई गैस और पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता पर देखा गया है। देश के कई हिस्सों में रसोई गैस सिलेंडरों की आपूर्ति में देरी और काला–बाजारी के कारण कीमतों में वृद्धि ने आम नागरिकों को प्रभावित किया है। घरेलू रसोई से लेकर होटल, रेस्तरां और छोटे उद्योगों तक, हर क्षेत्र में इसका असर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। कई स्थानों पर होटल व्यवसायियों को अपने मेन्यू सीमित करने पड़े हैं, जबकि छोटे व्यापारी अपने व्यवसाय को अस्थायी रूप से बंद करने को मजबूर हुए हैं।

यह स्थिति केवल आर्थिक संकट नहीं है, बल्कि सामाजिक असंतुलन का भी संकेत देती है। जब आम जनता की बुनियादी आवश्यकताएँ, जैसे खाना पकाने का ईंधन, प्रभावित होती हैं, तो यह सीधे जीवन स्तर और सामाजिक स्थिरता पर असर डालता है। महंगाई बढ़ती है, क्रय शक्ति घटती है और असंतोष का वातावरण बनता है।

ईरान–अमेरिका तनाव और उससे उत्पन्न ऊर्जा संकट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के इस दौर में केवल वही देश सुरक्षित और स्थिर रह सकते हैं, जो आत्मनिर्भर हैं।

– दुलीचंद कालीरमन

ऐसे समय में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या भारत इस प्रकार की बाहरी निर्भरता के साथ एक स्थिर और सुरक्षित भविष्य की कल्पना कर सकता है? उत्तर स्पष्ट है, नहीं। यही वह बिंदु है जहाँ "स्वावलंबन" केवल एक नीतिगत विकल्प नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आवश्यकता बन जाता है।

स्वावलंबन का अर्थ यह नहीं है कि भारत वैश्विक व्यापार से स्वयं को अलग कर ले। बल्कि इसका अर्थ है, अपनी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर बनना, ताकि वैश्विक संकटों का प्रभाव न्यूनतम हो। ऊर्जा के क्षेत्र में स्वावलंबन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। भारत के पास सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जैव ऊर्जा जैसे अपार संसाधन उपलब्ध हैं, जिनका अभी भी पूर्ण उपयोग नहीं हो पाया है।

यदि भारत सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अपने प्रयासों को और अधिक तेज करता है, तो वह न केवल अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, बल्कि एक निर्यातक देश भी बन सकता है। इसी प्रकार, ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस और अन्य वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देकर एल.पी.जी. पर निर्भरता को कम किया जा सकता है।

ऊर्जा क्षेत्र में निवेश, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना भी उतना ही जरूरी है। यदि भारत नई तकनीकों में अग्रणी बनता है, तो वह न केवल अपनी निर्भरता कम करेगा, बल्कि वैश्विक बाजार में भी प्रतिस्पर्धा कर सकेगा।

इस संदर्भ में निजी क्षेत्र की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। स्टार्टअप्स और उद्यमियों को स्वच्छ ऊर्जा और वैकल्पिक ईंधन के क्षेत्र में नवाचार के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और अर्थव्यवस्था को नया बल मिलेगा। साथ ही, आम नागरिकों की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

ईरान–अमेरिका संघर्ष ने एक और महत्वपूर्ण पहलू को उजागर किया है, राष्ट्रीय सुरक्षा। यदि किसी देश की ऊर्जा आपूर्ति बाधित होती है, तो उसकी रक्षा क्षमता भी प्रभावित हो सकती है।

ऊर्जा संरक्षण, स्थानीय उत्पादों का उपयोग और स्वदेशी तकनीकों को अपनाना, ये सभी छोटे–छोटे कदम मिलकर बड़े परिवर्तन का आधार बन सकते हैं।

ईरान–अमेरिका संघर्ष ने एक और महत्वपूर्ण पहलू को उजागर किया है, राष्ट्रीय सुरक्षा। यदि किसी देश की ऊर्जा आपूर्ति बाधित होती है, तो उसकी रक्षा क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। इसलिए ऊर्जा स्वावलंबन को राष्ट्रीय सुरक्षा की रणनीति का अभिन्न हिस्सा बनाया जाना चाहिए।

भारत की ऊर्जा सुरक्षा आज के वैश्विक अस्थिर माहौल में सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक बन चुकी है। भारत को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और रणनीतिक भंडारण पर गंभीरता से ध्यान देना होगा। इस संदर्भ में अंडमान–निकोबार क्षेत्र के संभावित तेल एवं गैस भंडार और रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

अंडमान–निकोबार द्वीप समूह भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है। यह क्षेत्र दक्षिण–पूर्व एशिया के ऊर्जा–समृद्ध क्षेत्रों के निकट है और भूवैज्ञानिक दृष्टि से भी यहाँ हाइड्रोकार्बन (तेल एवं गैस) के भंडार होने की संभावना जताई गई है। यदि इन स्रोतों का सफलतापूर्वक दोहन किया जाता है, तो यह भारत की ऊर्जा निर्भरता को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। इससे न केवल आयात पर खर्च कम होगा, बल्कि देश के पूर्वी समुद्री क्षेत्र का आर्थिक विकास भी तेज होगा।

रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार का उपयोग युद्ध, आपूर्ति बाधा या वैश्विक संकट के समय किया जाता है। वर्तमान में भारत के पास सीमित रणनीतिक भंडार हैं, जो कुछ ही दिनों की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। ईरान–अमेरिका तनाव जैसे हालात में यदि तेल आपूर्ति बाधित होती है, तो भारत को भारी आर्थिक और सामाजिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में अंडमान–निकोबार द्वीप समूह रणनीतिक भंडारण के लिए एक आदर्श स्थान बन सकता है।

अंततः, यह संकट भारत के लिए एक अवसर भी है। यह हमें अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें दूर करने का मौका देता है। यदि भारत इस चेतावनी को गंभीरता से लेते हुए स्वावलंबन की दिशा में ठोस कदम उठाता है, तो वह न केवल भविष्य के संकटों से सुरक्षित रहेगा, बल्कि एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में उभरेगा।

ईरान–अमेरिका तनाव और उससे उत्पन्न ऊर्जा संकट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के इस दौर में केवल वही देश सुरक्षित और स्थिर रह सकते हैं, जो आत्मनिर्भर हैं। भारत के लिए यह समय है कि वह अपने संसाधनों, तकनीकी क्षमता और मानव शक्ति का समुचित उपयोग करते हुए स्वावलंबन की ओर निर्णायक कदम बढ़ाए। यही मार्ग उसे एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भविष्य की ओर ले जाएगा। ❑❑

अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों की हो विवेचना

होर्मुज जलडमरूमध्य में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों के उल्लंघन की वर्तमान घटनाएं विशेषकर 2026 के संदर्भ में वैश्विक व्यापार और सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय बनी हुई हैं। ईरान द्वारा जहाजों को रोकना, टोल वसूलना और क्षेत्र पर नियंत्रण के दावे करना मुख्य रूप से समुद्री कानूनों के उल्लंघन के रूप में देखे जा रहे हैं। यमन के हूती विद्रोही (अंसार अल्लाह) लाल सागर में ड्रोन और मिसाइलों से लगातार व्यापारिक जहाजों को निशाना बना रहे हैं। इन हमलों के कारण प्रमुख शिपिंग कंपनियों को स्वेज नहर के बजाय अफ्रीका के चक्कर लगा कर लंबा और महंगा रास्ता अपनाना पड़ रहा है। लालसागर और होर्मुज जल डमरू मध्य में आतंकवादी गतिविधियों और हूती विद्रोहियों के हमलों ने वैश्विक समुद्री व्यापार को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। हूती विद्रोही गाजा युद्ध के जवाब में लाल सागर में इजराइल–संबंधित जहाजों को निशाना बना रहे हैं। वहीं, होर्मुज जलडमरूमध्य में ईरान समर्थित गतिविधियों के कारण टैंकरों पर हमले और तनाव बढ़ गया है।

होर्मुज जलडमरूमध्य का एक बड़ा हिस्सा ईरान के प्रादेशिक जल और उसके कॉन्टिनेन्टल शेल्फ के अंतर्गत आता है। यह जल डमरू मध्य उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान (मुसन्दम प्रायद्वीप) के बीच स्थित है। उत्तरी तट ईरान के पास है, और वहां के लारक और केश्म जैसे द्वीप ईरान के नियंत्रण में हैं, जो उन्हें इस जलमार्ग पर सामरिक लाभ देते हैं।

होर्मुज जलडमरूमध्य सबसे संकरे स्थान पर लगभग 33–39 किलोमीटर (21–27 समुद्री मील) चौड़ा है। चूँकि यह रास्ता 24 समुद्री मील से कम चौड़ा है, इसलिए होर्मुज की शिपिंग लेन पूरी तरह से ईरान और ओमान के प्रादेशिक जल में ओवर लैप होती है। अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार, देश अपनी तट रेखा से 12 समुद्री मील तक प्रादेशिक जल पर अधिकार रखते हैं। इस कारण, जल डमरू मध्य के अंदर कोई भी हिस्सा 'मुक्तसमुद्र' (हाइ सीज़) या शुद्ध रूप से सिर्फ अंतरराष्ट्रीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईज़ेड) नहीं रह जाता।

जलडमरूमध्य क्षेत्रों में स्थित देशों के अधिकारों की पुनः विवेचना हो। जिससे उनकी सार्वभौमिकता को सुरक्षित करते हुए विदेशी व्यापार में अवरोध करने का अधिकार, वहां स्थित देशों को वर्जित किया जाये, अन्यथा उन देशों को प्रतिबंधों से दंडित किया जाये।

– विनोद जौहरी

ईरान इस क्षेत्र के संसाधनों, जैसे तेल और गैस, पर अपने कॉन्टिनेन्टल शेल्फ और ईईज़ेड के अधिकारों का दावा करता है। रणनीतिक रूप से, जलडमरूमध्य के आठ प्रमुख द्वीपों में से सात पर ईरान का नियंत्रण है, जो इसके समुद्री संसाधनों पर उसके प्रभाव को मजबूत करता है।

ईरान इस क्षेत्र के संसाधनों, जैसे तेल और गैस, पर अपने कॉन्टिनेन्टल शेल्फ और ईईज़ेड के अधिकारों का दावा करता है। रणनीतिक रूप से, जलडमरूमध्य के आठ प्रमुख द्वीपों में से सात पर ईरान का नियंत्रण है, जो इसके समुद्री संसाधनों पर उसके प्रभाव को मजबूत करता है।

यद्यपि होर्मुज जलडमरूमध्य ईरान और ओमान के क्षेत्रीय जल में है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (यूएनसीएलओएस) के तहत यह एक 'अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग' माना जाता है, जिससे होकर सभी जहाजों को "पारगमन मार्ग" का अधिकार है। अधिकांश देश यहां 'ट्रांजिट पैसेज' के अधिकार का समर्थन करते हैं, जिसका अर्थ है कि विदेशी जहाजों को बिना किसी अवरोध के पारगमन की अनुमति होनी चाहिए।

सामुद्रिक नियमों के अंतर्गत क्षेत्रीय विभाजन इस प्रकार समझा जा सकता है–

1 *आंतरिक जलः* तट के अंदर, पूर्ण राष्ट्रीय अधिकार।
2 *प्रादेशिक समुद्रः* तट से 12 समुद्री मील तक, देश का पूर्ण संप्रभु अधिकार।
3 *सन्निहित क्षेत्रः* 24 समुद्री मील तक, सीमा शुल्क और इमिग्रेशन कानून लागू।
4 *विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईज़ेड):* 200 समुद्री मील तक, संसाधनों का अधिकार।
5 *उच्च समुद्रः* 200 मील से आगे, सभी देशों का समान अधिकार।

इसके विपरीत, ईरान का कहना है कि यहां केवल 'इनोसेंट पैसेज' लागू होता है, जिससे से सुरक्षा के आधार पर जहाजों को रोकने या नियंत्रित करने का अधिक अधिकार मिलता है। ईरान होर्मुज जल डमरू मध्य के माध्यम से होने वाले व्यापार पर "नियंत्रण" का दावा करता है और उसने सुरक्षा के बदले टोल वसूलने के लिए कानून भी तैयार किया है जबकि संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि के आर्टिकल 26 के अनुसार, तटीय देश विदेशी जहाजों पर केवल उनके जल क्षेत्र से गुजरने के आधार पर कोई शुल्क या टैक्स नहीं लगा सकते हैं।

अप्रैल 2026 में वर्तमान संघर्षों के कारण, ईरान ने इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण और कड़ा कर दिया है और कुछ "मित्र देशों" (जैसे भारत और चीन) को ही प्राथमिकता के आधार पर सुरक्षित मार्ग दे रहा है।

लालसागर और होर्मुज जलडमरूमध्य दोनों ही वैश्विक व्यापार और तेल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग हैं, लेकिन ये अलग–अलग भौगोलिक स्थानों पर स्थित हैं। लाल सागर अफ्रीका और एशिया के बीच एक बड़ा विशाल समुद्र/खाड़ी है जो स्वेज नहर से जुड़ता है, जबकि होर्मुज ईरान के दक्षिण में फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ने वाला एक संकरा मार्ग है। लालसागर, स्वेज नहर के माध्यम से एशिया और यूरोप के बीच मुख्य व्यापारिक मार्ग है। होर्मुज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल चोक पॉइंट है, जहाँ से वैश्विक तेल का एक बड़ा भाग गुजरता है। लालसागर, बाब अल–मंडेब के जरिए अरब सागर से जुड़ता है। होर्मुज, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। लाल सागर के दक्षिणी भाग में हूती विद्रोहियों से खतरा रहता है। होर्मुज में ईरान और अमेरिका के बीच तनाव के कारण जोखिम रहता है। दोनों ही मार्ग ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, जहाँ से भारी मात्रा में ईंधन की आपूर्ति दुनिया भर में होती है।

ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य क्षेत्र में बारूदी सुरंगें बिछाने और जहाजों को निशाना बनाने के समाचार हैं। इस क्षेत्र से दुनिया का लगभग 20 प्रतिशत तेल गुजरता है, और इन हमलों से वैश्विक ऊर्जा संकट की आशंका बढ़ गई है। अमेरिका और उसके सहयोगियों ने जहाजों की सुरक्षा के लिए इस क्षेत्र में युद्ध पोत तैनात किए हैं।

इनोसेंट पैसेज के तहत ईरान अक्सर यह तर्क देता है कि वह अपनी सुरक्षा के लिए जहाजों को रोक रहा है। हालाँकि, विशेषज्ञों का मानना है कि होर्मुज जैसे अंतर्राष्ट्रीय मार्ग पर 'ट्रांजिट पैसेज' के नियम लागू होते हैं, और उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता।

ईरान ने कथित तौर पर अमेरिका और इज़राइल से संबद्ध जहाजों को निशाना बनाया है और उन्हें जब्त किया है, जिसे समुद्री सुरक्षा के लिए खतरा माना जा रहा है।

वर्तमान में इस इलाके में अनेक जहाज फंसे हुए हैं। ईरान ने होरमुज से गुजरने वाले जहाजों से भारी रकम (टोल) वसूलने का प्रस्ताव रखा है, जिसका यूरोपीय संघ और संयुक्त अरब अमीरात ने कड़ा विरोध किया है। होरमुज की नाकेबंदी और शांति वार्ता विफल होने के कारण कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता बनी हुई है। इसलिए वैश्विक ऊर्जा संकट गहराने की आशंका है।

होर्मुज स्ट्रेट का बंद होना या वहां तनाव बढ़ना भारत के लिए किसी झटके से कम नहीं है। भारत अपनी जरूरत का 90 प्रतिशत कच्चा तेल बाहर से मंगाता है। इसमें से करीब आधा हिस्सा यानी 50 प्रतिशत तेल इसी होर्मुज स्ट्रेट से होकर भारत आता है। अगर यहां अवरोध उत्पन्न होता है, तो भारत को दूसरे देशों से महंगे दाम पर तेल खरीदना पड़ेगा। बड़ी कठिनाई यह भी है कि खाड़ी देशों से तेल भारत आने में सिर्फ 5 से 7 दिन लगते हैं, जबकि रूस या अमेरिका से तेल मंगाने में 25 से 45 दिन का समय लग जाता है। इसका सीधा असर जनता की जेब पर पड़ेगा और देश में पेट्रोल–डीजल के दाम के साथ महंगाई भी बढ़ जाएगी।

मीडिया और समाचार पत्रों में ईरान सहित मध्यपूर्व देशों और अमेरिका में इस युद्ध से अभी तक कितने नागरिकों की मौतें हुई हैं, वैश्विक व्यापार में कुल कितना नुक्सान हुआ है और तेल पर निर्भर देशों की अर्थव्यवस्था कितनी लड़खड़ाई है, इसका भी आंकलन सही नहीं है। वर्षों से होर्मूज़ जलडमरूमध्य और लाल सागर में हूथी ईरान और यमन समर्थित आतंकवादियों ने सामुद्रिक व्यापार में जो अवरोध खड़े किये और विदेशी जहाजों पर आतंकी हमले किये हैं, उसकी यही परिणति सुनिश्चित थी। ईरान होर्मूज़ जलडमरूमध्य में विदेशी जहाजों के आवागमन और तेल आपूर्ति में बांधा डालकर, टोल टैक्स व अन्य लेवी लगाकर अंतरराष्ट्रीय सामुद्रिक कानून की अवहेलना कर रहा है, इसलिए वहां किसी भी तरह युद्ध विराम के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ की शांतिरक्षा बल के नियंत्रण में विदेशी जहाजों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित की जाये और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों को पश्चिम और मध्य पूर्व एशियाई देशों एवं युरोपीय जल मार्गों में संकरे जलडमरूमध्य क्षेत्रों में स्थित देशों के अधिकारों की पुनः विवेचना हो जिससे उनकी सार्वभौमिकता को सुरक्षित करते हुए विदेशी व्यापार में अवरोध करने का अधिकार वहां स्थित देशों को वर्जित किया जाये, अन्यथा उन देशों को प्रतिबंधों से दंडित किया जाये। अभी तक विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और कांटीनेंटल शेल्फ के अंतर्गत सामुद्रिक क्षेत्र पर अधिकारों को लेकर जलडमरूमध्य क्षेत्रों में विवाद की स्थिति है और एक ही क्षेत्र में कई देशों के अधिकारों को लेकर कानूनी व्यवस्था बहुत लचर व अपरिभाषित है। ❑❑

:: सदस्यता संबंधी सूचना ::

अधिक जानकारी के लिए देखें :
http://swadeshionline.in/

मान्यवर,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीघ्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है :–

स्वदेशी पत्रिका	*वार्षिक*	*आजीवन*
हिन्दी	150 रुपए	1500/– रुपए
अंग्रेजी	150 रुपए	1500/– रुपए

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. **602510110002740, IFSC : BKID- 0006025 (Ramakrishnapuram)** में जमा करवा सकते हैं और उसकी रसीद और अपना पता आप कार्यालय में अवश्य भेजे।

स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22

युद्ध की विभीषिका की कीमत चुकाता आम आदमी

पिछले दो सप्ताह से अधिक समय से अमरीका और इजराइल द्वारा ईरान पर हुए हमलों के बाद, जहां एक ओर इस युद्ध की आग 20 देशों तक फैल चुकी है, जिसके वजह से हजारों जानें तो गई ही हैं, बड़ी मात्रा में तेल और गैस के भंडार भी नष्ट हुए हैं, भारी मात्रा में संपत्ति का भी नुकसान हुआ है; साथ ही पूरा विश्व ही समुद्री मार्गों के बाधित होने के कारण फिलहाल तो तेल और गैस की कीमतों में वृद्धि से भी जूझ रहा है। वैश्विक एजेंसियों की मानें तो युद्ध के कारण दुनिया में मुद्रा स्फीति, गरीबी और खाद्य असुरक्षा भयंकर रूप से बढ़ सकती है। साथ ही आपूर्ति श्रंखला में बाधा, जहाजरानी लागतों में वृद्धि और महत्वपूर्ण कम्पोनेंट्स की उपलब्धता में कमी के चलते वैश्विक आपूर्ति आघात, अर्थव्यवस्थाओं में अफरा–तफरी मचा सकते हैं।

ऐसा माना जा रहा है कि यह युद्ध अमेरिका की तेल भंडारों पर पकड़ बनाने की महत्वकांक्षा के कारण हो रहा है हालाँकि पहले तो यह कहा गया कि ईरान आणविक हथियार बना रहा है और इसके कारण अमरीका और विश्व की शांति भंग हो सकती है, लेकिन अब अमरीकी प्रशासन के लोग भी यह कहने लगे हैं कि अमरीका ने बिना वजह इस युद्ध को छेड़ा है। वे इजरायल को युद्ध भड़काने के लिए दोषी ठहरा रहे हैं। लेकिन समझना होगा कि पहले तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी कर उसके अमरीका लाया जाना, और अब ईरान पर हमला करना, विशेषज्ञ ऐसा मानते है कि यह सब दुनिया के तेल भण्डारों पर अमरीका का काबिज होने की कोशिश का यह संकेत है। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रायटर का यह कहना है कि इससे पहले इराक में सत्ता परिवर्तन के माध्यम से वहां के तेल भंडारों पर भी अमरीका का लगभग कब्जा हो चुका है। दुनिया में अपनी धौंस जमाने के लिए इस प्रकार से युद्ध थोपना अवांछनीय है।

युद्ध की विभीषिकाओं के चलते एक तरफ जान–माल का विध्वंस तो दूसरी ओर आम आदमी के लिए विकास दर में गिरावट, महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य असुरक्षा विश्व के लिए किसी भी प्रकार से मंगलकारी नहीं हो सकती। विश्व के तमाम देशों को युद्ध की समाप्ति के लिए अपने प्रयास बढ़ाने होंगे।
– स्वदेशी संवाद

महंगाई का खतरा

यूं तो कोई भी जंग महंगाई को बढ़ाने का कारण बनती है, लेकिन दुनिया की अधिकांश कच्चे तेल और गैस की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले खाड़ी के देशों के इस जंग में शामिल होने के कारण स्वभाविक तौर पर तेल और गैस की कीमतों में वृद्धि से महंगाई तो बढ़ती ही है, समुद्र के रास्ते सामान की आवाजाही में आने वाले अवरोधों के कारण साजोसामान की कमी के चलते भी महंगाई बढ़ती है। युद्ध जैसे–जैसे आगे बढ़ रहा है, यह समस्या भीषण रूप लेती जा रही है। महंगाई के कारण घटती क्रय शक्ति, आवश्यक वस्तुओं की कमी और सरकारों द्वारा उसे वहन करने की शक्ति कम होने पर सामाजिक अशांति का भी खतरा बढ़ सकता है। समझा जा सकता है कि युद्ध के कारण बढ़ती महँगाई आवश्यक वस्तुओं की कमी और यदि उसके कारण सामाजिक अशांति फैलती है तो उसका सीधा सीधा खामियाजा आम आदमी को ही भुगतना पड़ता है।

वित्तीय बाजारों में खलबली

युद्ध के हालातों में निवेशकों का रूझान सुरक्षित परिसंपत्तियों की ओर हो जाता है। व्यवसायों में विश्वास डगमगाता है और अनिश्चितता फैलती है। ऐसे में शेयरों और बांडों में

निवेश की बजाय लोग ज्यादा सोना, चांदी खरीदने लगते हैं। स्वभाविक तौर पर शेयर बाजार गिरने लगते हैं। भारत की बात करें तो युद्ध के समय से लेकर अभी तक मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 7 प्रतिशत से अधिक गिर चुका है। वैश्विक बाजारों की बात करें तो वहां भी यही स्थिति देखने को मिल रही है। शेयर बाजार में गिरावट का भी सीधा सीधा असर आम आदमी पर ही पड़ता है। एक तरफ़ उसके पोर्टफोलियो का मूल्य कम हो जाता है और साथ ही साथ पेंशन फंडों द्वारा शेयर बाज़ारों में निवेशित धन का मूल्य भी कम हो जाता है।

अर्थव्यवस्थाओं पर युद्ध का असर

सामान्यतः भारत जैसे विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर युद्ध का असर नकारात्मक ही पड़ता है। सबसे पहले तेल की क़ीमतें बढ़ने से विदेशी मुद्रा का बहिर्गमन बढ़ जाता है और विदेशी मुद्रा भंडार कम हो जाते हैं। दूसरे, बढ़ते आयात बिल और संस्थागत निवेशकों द्वारा पूँजी के बहिर्गमन के कारण स्थानीय मुद्रा का अवमूल्यन हो जाता है। गौरतलब है कि युद्ध के पिछले लगभग तीन सप्ताह में रुपये का मूल्य डॉलर के मुक़ाबले घट चुका है; और यह प्रक्रिया लगातार जारी है। तीसरे मुद्रास्फीति से निजात दिलाने के लिए सरकारों को ऊर्जा, खाद्य पदार्थों और उर्वरकों पर अधिक सब्सिडी देनी पड़ती है या कर कम करने पड़ते हैं ऐसे में सरकारी ख़ज़ाने पर बोझ बढ़ता है जिसका सीधा असर दुबारा से मुद्रास्फीति पर पड़ता है जिसका खामियाजा आम आदमी को ही भुगतना पड़ता है। यही नहीं कि केवल विकासशील अर्थव्यवस्थायें ही प्रभावित होंगी, विकसित देश भी इससे अछूते नहीं रहेंगे। स्वयं अमरीका में भी आने वाले समय में भारी मंदी की आशंका व्यक्त की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज़ का कहना है कि इस बात की

सामान्यतः भारत जैसे विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर युद्ध का असर नकारात्मक ही पड़ता है। सबसे पहले तेल की क़ीमतें बढ़ने से विदेशी मुद्रा का बहिर्गमन बढ़ जाता है और विदेशी मुद्रा भंडार कम हो जाते हैं ...

49 प्रतिशत आशंका है कि अमरीका अगले 12 महीनों में मंदी का शिकार हो जायेगा और उसे रोक पाना कठिन होगा। इसके पीछे बढ़ती तेल कीमतें, युद्ध के कारण अवरूद्ध अंतर्राष्ट्रीय मार्ग, बताई जा रही हैं, एक तरफ रोजगारविहीन आर्थिकी संवृद्धि और दूसरी ओर युद्ध के कारण बढ़ती कीमतों के चलते अमरीका का मंदी में जाना लगभग तय माना जा रहा है।

बाधित हो सकती है खाद्य सुरक्षा

दुनिया में खाद्य पदार्थों का उत्पादन सभी देशों में इस जैसा नहीं है कि हर देश अपनी खाद्य सुरक्षा स्वयं कर सके। ऐसे में इन देशों को खाद्य निर्यातक देशों से आयात पर निर्भर होना पड़ता है। युद्ध के कारण वस्तुओं के आवागमन में बाधा आती है जिसके चलते खाद्य पदार्थों के आयात पर निर्भर देशों में खाद्य सुरक्षा का संकट खड़ा हो जाता है। खाद्य असुरक्षा और खाद्य पदार्थों की क़ीमतों में वृद्धि आदि का सीधा असर भी आम आदमी पर ही पड़ता है। हालाँकि भारत अपनी खाद्य आवश्यकताओं के लिए अधिकांशतः आत्मनिर्भर है, लेकिन इसके बावजूद तेलों और दालों के मामले में आयात पर निर्भरता बनी हुई है। इन वस्तुओं की क़ीमतों में वृद्धि भी आम आदमी के जीवन पर प्रतिकूल असर डाल सकती है।

विकास पर प्रतिकूल प्रभाव

लंबे समय में, युद्ध के कारण व्यापार में रुकावटों और बढ़ती अनिश्चितता के कारण निवेश कम हो जाता है, जिससे वैश्विक जीडीपी की वृद्धि धीमी हो जाती है। दूसरे, युद्ध और पुनर्निर्माण पर बढ़ा हुआ खर्च सरकारों को ज़्यादा कर्ज़ लेने के लिए बाध्य करता है, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी कर्ज़ बढ़ जाता है और भविष्य में वित्तीय दबाव पैदा होता है। तीसरे, युद्ध के कारण तकनीकी बदलावों की दिशा रक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और साइबर सुरक्षा के क्षेत्रों की ओर मुड़ जाती है। इससे इनोवेशन को बढ़ावा तो मिलता है, लेकिन इसके साथ ही संसाधनों को सामाजिक और विकासात्मक क्षेत्रों से हटाकर दूसरी तरफ़ लगाना पड़ता है। कुल मिलाकर, युद्ध आर्थिक प्राथमिकताओं को बदल कर संतुलित तथा टिकाऊ वैश्विक विकास को कमज़ोर कर सकता है।

आज सबसे ज़रूरी काम वैश्विक शांति को बहाल करना और यह सुनिश्चित करना है कि विकास में कोई रुकावट न आए। कोविड के बाद, वैश्विक विकास दर, जो अभी 2.5 प्रतिशत से 3. 0 प्रतिशत के आसपास बनी हुई है, अभी तक कोविड–पूर्व के 3.5 प्रतिशत से 4.0 प्रतिशत के स्तर तक नहीं पहुँच पाई है। ऐसा माना जा रहा है कि युद्ध के कारण वैश्विक आर्थिक संवृद्धि की दर 0.2 प्रतिशत से 1.0 प्रतिशत तक और कम हो सकती है। युद्ध की विभीषिकाओं के चलते एक तरफ जान–माल का विध्वंस तो दूसरी ओर आम आदमी के लिए विकास दर में गिरावट, महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य असुरक्षा विश्व के लिए किसी भी प्रकार से मंगलकारी नहीं हो सकती। विश्व के तमाम देशों को युद्ध की समाप्ति के लिए अपने प्रयास बढ़ाने होंगे। ❑❑

महिला आरक्षण से राजनीति ही नहीं, समाज भी बदलेगा

संसद के विशेष सत्र में 21 घंटे तक चली चर्चा में 131वां संशोधन विधेयक 2006 पर सहमति की मुहर नहीं लग पाई लेकिन सरकार ने अपने महत्वपूर्ण निर्णय में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण से संबंधित 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 की आधिकारिक अधिसूचना प्रकाशित कर दी है। कानून मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन के बाद इस अधिनियम के प्रावधान 16 अप्रैल 2026 से प्रभावी माने जाएंगे, लेकिन इसे लागू करने के लिए पहले जनगणना फिर परिसीमन की शर्तें जस की तस है।

106वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 महिला आरक्षण बिल है। यह वही कानून है जिसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। इसे वर्ष 2023 में ही राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी लेकिन उस समय लागू नहीं किया गया था। क्योंकि इसके साथ यह शर्त जोड़ दी गई थी कि अगली जनगणना और परिसीमन के बाद इसे लागू किया जायेगा। वर्ष 2001 की जनगणना के बाद वर्ष 2002 में परिसीमन आयोग बना था, लेकिन 84वें संविधान संशोधन के जरिये बाजपेयी सरकार ने इस अगले 25 साल के लिए रोक लगा दी थी। इसलिए यह व्यवस्था 2026 के बाद ही आगे बढ़ सकेगी। अधिनियम की धारा 1 (2) में कहा गया था कि यह कानून केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना जारी करने के बाद ही प्रभाव में आएगा। अब सरकार ने अधिसूचना जारी कर इसे लागू कर दिया है। केंद्र सरकार महिला आरक्षण से संबंधित कानून को शीघ्र और पुख्ता तौर पर कवच के साथ लागू करने के लिए 131वें संशोधन विधेयक के जरिए परिसीमन पर लगी रोक हटाकर बिना जनगणना के ही परिसीमन के साथ जोड़कर पास करना चाहती थी ताकि 2029 के पहले नारी शक्ति को कानूनी ताकत दी जा सके, लेकिन विषय की असहमति के कारण यह नहीं हो सका।

किसी भी देश के इतिहास में कुछ क्षण ऐसे आते हैं, जिनका असर कई युगों तक रहता है। भारत में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से देश की आधी आबादी को मिलने वाले

महिला आरक्षण कोई नया विचार नहीं है, लेकिन इसे लागू करने का साहस ही नेतृत्व की असली परीक्षा थी।
– डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्र

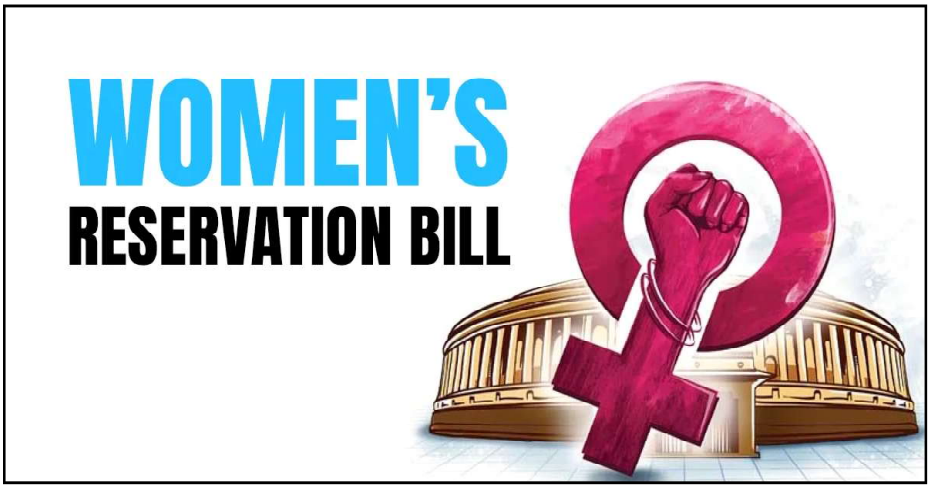

पूरे हक को इसी रूप में देखा जा सकता है। हक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह कानून महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के साथ सामाजिक चेतना भी लाएगा।

इसमें कोई दो राय नहीं है कि बेटियों के लिए जितनी संभावनाएं बढ़ती है, उतना ही समाज में उनके लिए सम्मान और सुरक्षा का भाव बढ़ता है। बेटियों को कोख में मारने वाली सोच ऐसे बदलावों से हारती है। देश को विकसित बनाने की दिशा में यह कदम मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि आधी आबादी को राजनीति और नीति–निर्माण में भागीदार बनाने का असर समूचे परिदृश्य पर नजर आएगा। 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः' का भाव सही मायने में तब सार्थक होगा, जब इस देश की बेटियों को घर के अंदर और बाहर पूर्ण सम्मान मिलेगा।

सरकार ने अगले आम चुनाव से ही महिला आरक्षण लागू करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया था। इसका मतलब सरकार ने ठान लिया है कि अब और देरी नहीं। इसका लाभ देश के सभी वर्ग की महिलाओं को मिलेगा, मुस्लिमों को भी। खास मुस्लिम महिलाओं का जिक्र इसलिए क्योंकि तुलनात्मक रूप से उनका प्रतिनिधित्व काफी कम है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम ऐसा ऐतिहासिक संकल्प है, जो दशकों की प्रतीक्षा के बाद साकार हुआ है और अब 2029 में अपने पूर्ण प्रभाव के साथ भारत की राजनीति को नई पहचान देने की ओर आगे बढ़ा। सरकार ने वह किया, जो पहले केवल राजनीतिक वादों तक सीमित था। कुछ तारीखें हमें याद रखनी होंगी। सितंबर 2023 में यह विधेयक संसद से पारित हुआ था और उसी महीने इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई। यह भारत की राजनीति में शक्ति संतुलन का ऐतिहासिक पुनर्निर्माण था। उम्मीद की जा रही थी कि 2029

नारी शक्ति बंदन अधिनियम में सामाजिक मानसिकता को बदलने की ताकत है। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा हर क्षेत्र में महिला दृष्टिकोण केंद्र में आएगा। नेतृत्व अब 'पुरुष-प्रधान' नहीं, 'साझा शक्ति' का प्रतीक बनेगा।

में जब बदलाव जमीन पर दिखेगा, तो पूरी दुनिया के लिए यह एक उदाहरण होगा, लेकिन विपक्षी दलों की असहमति के कारण फिलहाल यह मामला टलता हुआ लग रहा है क्योंकि परिसीमन अगली जनगणना के आधार पर होना है इसलिए इस लाभ को मिलने में थोड़ा और समय लग सकता है।

अब केंद्र में होंगी महिलाएं

महिला आरक्षण कोई नया विचार नहीं है, लेकिन इसे लागू करने का साहस ही नेतृत्व की असली परीक्षा थी। मोदी सरकार ने दृढ राजनीति इच्छाशक्ति दिखाई और परिणाम सामने कर संशोधन के साथ सदन में रखा। फिलहाल यह प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, लेकिन जब भी यह जमीन पर उतरेगा तो संसद का चरित्र बदलेगा, निर्णय लेने की मेज पर महिलाओं की आवाज निर्णायक होगी। नीति निर्माण में महिलाओं के मुद्दों को ज्यादा जगह मिल पाएगी। दलित, पिछड़ा समाज, मुसलमान हर वर्ग की महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा।

नारी शक्ति बंदन अधिनियम में सामाजिक मानसिकता को बदलने की ताकत है। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा हर क्षेत्र में महिला दृष्टिकोण केंद्र में आएगा। नेतृत्व अब 'पुरुष–प्रधान' नहीं, 'साझा शक्ति' का प्रतीक बनेगा। एक बड़ा बदलाव यह होगा कि भारत का लोकतंत्र पहली बार अपनी जनसंख्या की वास्तविक तस्वीर का प्रतिनिधित्व करेगा। सही मायने में यह कानून नहीं, युग परिवर्तन है। इसे केवल एक राजनीतिक निर्णय मानना उसकी व्यापकता को कम आंकना होगा। जब इतिहास लिखा जाएगा, तो यह कहा जाएगा कि भारत ने उस दौर में कदम रखा, जहां नारी शक्ति को केवल सम्मान नहीं, बल्कि सत्ता का समान अधिकार मिला। यही है नया भारत, जहां निर्णय की धुरी अब आधी नहीं, पूरी आबादी है।

मालूम हो कि 1990 के दशक से महिला आरक्षण विधेयक कई बार संसद में पेश हुआ। कभी विरोध के कारण, कभी दलगत राजनीति, तो कभी सामाजिक समीकरणों के दबाव में हर बार यह काम अधूरा रह गया। फिर रूक गया है। यह केवल एक कानून का रुकना नहीं है, इसकी वजह से आधी आबादी के अधिकारों का इंतजार लंबा होता चला गया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि अब यह मुद्दा टलने वाला नहीं है। सरकार ने विशेष संसद सत्र बुलाया और इसे राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया गया। महिला आरक्षण कानून को और अधिक मजबूत बनाने की गरज से सरकार ने कुछ संशोधन प्रस्तावित कर संसद में चर्चा आयोजित की। विपक्ष के अड़ियल रवैया के कारण हालांकि 131वां संशोधन विधेयक पारित नहीं हो सका लेकिन सरकार ने महिलाओं के पक्ष में अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति का इजहार करते हुए लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण का कानून लागू करने का एक बेहतर और सकारात्मक संदेश दिया है। ❑❑

महिला विधेयकः समावेशी नेतृत्व का नया युग

महिलाओं का विधेयक केवल एक विधायी सुधार नहीं है। यह समाज में सत्ता को समझने, वितरित करने और प्रयोग करने के तरीके में एक गहन परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। अपने मूल में, यह विधेयक लंबे समय से चली आ रही संरचनाओं को चुनौती देता है, जिसने ऐतिहासिक रूप से निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी को सीमित कर दिया है। अधिक प्रतिनिधित्व और समानता की वकालत करके, यह सत्ता को समावेशी, संतुलित और सम्पूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधि के रूप में पुनः परिभाषित करने का प्रयास करता है।

दशकों से, महिलाओं ने परिवारों, समुदायों और अर्थव्यवस्थाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, फिर भी औपचारिक राजनीतिक और संस्थागत स्थानों पर उनकी उपस्थिति असमान रूप से कम रही है। महिला विधेयक इस असंतुलन को दूर करता है, तथा यह सुनिश्चित करता है कि महिलाओं को उचित स्थान मिले। इसमें यह माना गया है कि जब आधी आबादी का प्रतिनिधित्व कम हो तो सच्चा लोकतंत्र अस्तित्व में नहीं आ सकता।

सत्ता को पुनः परिभाषित करने का अर्थ मानसिकता बदलना भी है। परंपरागत रूप से, शक्ति को प्रभुत्व और नियंत्रण के साथ जोड़ा जाता है। गुण अक्सर पुरुषार्थ में ढाले जाते हैं। महिला विधेयक नेतृत्व के बारे में अधिक सहयोगात्मक और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। महिला नेता अक्सर सामाजिक कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सामुदायिक विकास पर आधारित दृष्टिकोण लाते हैं। उनका समावेश नीतिगत प्राथमिकताओं को व्यापक बनाता है तथा अधिक समग्र शासन की ओर ले जाता है।

महिला विधेयक का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसमें भावी पीढ़ियों को प्रेरित करने की क्षमता है। जब युवा लड़कियां महिलाओं को अधिकार के पदों पर देखती हैं, तो यह उनकी आकांक्षाओं को नया रूप देता है। यह एक स्पष्ट संदेश देता हैः नेतृत्व को लिंग के आधार पर नहीं, बल्कि क्षमता, दृष्टिकोण और दृढ़ संकल्प से परिभाषित किया जाता है। यह मनोवैज्ञानिक बदलाव उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि विधेयक में प्रस्तावित संरचनात्मक परिवर्तन।

हालाँकि, ऐसे कानून की सफलता न केवल उसके पारित होने पर निर्भर करती है बल्कि इसके कार्यान्वयन पर भी निर्भर करती है। सामाजिक बाधाएं, सांस्कृतिक पूर्वाग्रह और

महिला विधेयक सत्ता को विशिष्टता से समावेशीता की ओर पुनः परिभाषित करने के बारे में है। यह इस बात को स्वीकार करने के बारे में है कि विविध आवाजें मजबूत निर्णयों और अधिक लचीले समाजों की ओर ले जाती हैं। महिलाओं को सशक्त बनाकर यह विधेयक लोकतंत्र को ही मजबूत करता है।

– डॉ. विजय गर्ग

संस्थागत प्रतिरोध अभी भी प्रगति में बाधा डाल सकते हैं। इसलिए, कानूनी सुधारों के साथ–साथ, सभी स्तरों पर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा, जागरूकता और क्षमता निर्माण में निरंतर प्रयास किए जाने चाहिए।

आलोचक कभी–कभी तर्क देते हैं कि आरक्षण या कोटा योग्यता को कमजोर कर देता है। हालाँकि, यह दृष्टिकोण उन प्रणालीगत बाधाओं को नजरअंदाज करता है जो ऐतिहासिक रूप से महिलाओं को अवसरों तक पहुंचने से रोकती रही हैं। महिला बिल योग्यता का स्थान नहीं लेता है। यह एक समान खेल का मैदान बनाता है जहां योग्यता वास्तव में चमक सकती है।

अंततः, महिला विधेयक सत्ता को विशिष्टता से समावेशीता की ओर पुनः परिभाषित करने के बारे में है। यह इस बात को स्वीकार करने के बारे में है कि विविध आवाजें मजबूत निर्णयों और अधिक लचीले समाजों की ओर ले जाती हैं। महिलाओं को सशक्त बनाकर यह विधेयक लोकतंत्र को ही मजबूत करता है।

मूल प्रावधान यह विधेयक (अब 106वां संशोधन अधिनियम) कई संरचनात्मक परिवर्तन प्रस्तुत करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महिलाएं न केवल भागीदार हों, बल्कि सत्ता में हितधारक भी हों मात्रात्मक बदलावः लोकसभा और राज्य सभाओं (दिल्ली विधानसभा सहित) में 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित।

उप–आरक्षणः अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) से महिलाओं के लिए कोटा के भीतर एक कोटा शामिल है।

सनसेट क्लॉजः आरक्षण को शुरू में 15 वर्षों के लिए निर्धारित किया गया है, जिससे इसकी प्रभावशीलता की समय–समय पर समीक्षा की जा सकेगी और यह आशा जताई जा सकती है कि लैंगिक समानता अंततः आत्मनिर्भर हो जाएगी।

रोटेशनल नीतिः प्रत्येक सीमांकन अभ्यास के बाद आरक्षित सीटों को घुमाया जाएगा ताकि विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके।

यह शक्ति को पुनः परिभाषित क्यों करता है राजनीतिक विश्लेषकों और नेताओं का तर्क है कि यह विधेयक तीन अलग–अलग तरीकों से "सत्ता के व्याकरण" को बदलता है –

1. "प्रॉक्सी" से लेकर "प्रिंसिपल" तक अतीत में स्थानीय पंचायत स्तर पर महिलाओं के आरक्षण के आलोचक "सरपंच पाटी" घटना की ओर इशारा करते थे (जहां पति अपनी चुनी हुई पत्नियों के माध्यम से शासन करते हैं)। हालांकि, 2023 अधिनियम उच्च विधायी निकायों को लक्षित करता है, जहां मीडिया की जांच और नीति निर्माण की जटिलता प्रत्यक्ष नेतृत्व की मांग करती है। यह राजनीतिक दलों को महिलाओं का एक नेतृत्व पाइपलाइन बनाने के लिए मजबूर करता है, जो कानून पर बहस कर सकें, बजट प्रबंधित कर सकें और मंत्रालयों का नेतृत्व कर सकें।

2. विधायी एजेंडा बदलना वैश्विक अध्ययनों से पता चलता है कि नेतृत्व में महिलाएं अक्सर पारंपरिक "कठिन" बुनियादी ढांचे की तुलना में "सामाजिक बुनियादी ढांचे", स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और पेयजल को प्राथमिकता देती हैं। 33 प्रतिशत के महत्वपूर्ण आंकड़े तक पहुंचकर, महिलाएं मौन अल्पसंख्यक होने से एक मतदान समूह में बदल सकती हैं, जो राष्ट्रीय एजेंडे को अधिक समावेशी, कल्याण–उन्मुख नीतियों की ओर मोड़ सकता है।

3. राजनीतिक संस्कृति में बदलाव यह विधेयक राजनीतिक दल की संरचनाओं के "पुराने लड़कों के क्लब" स्वरूप को चुनौती देता है। चूंकि 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं द्वारा भरी जानी चाहिए, इसलिए पार्टियां अब यह तर्क नहीं दे सकतीं कि उन्हें "जीत पाने योग्य" महिला उम्मीदवार नहीं मिल सकते। यह लिंग को राजनीतिक रणनीति के केंद्रीय स्तंभ के रूप में संस्थागत बनाता है, न कि एक बाद की बात के रूप में। कार्यान्वयन का मार्ग हालांकि यह विधेयक एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है, लेकिन सत्ता पर इसका वास्तविक प्रभाव दो "ट्रिगर्स" पर निर्भर करता है–

जनगणनाः आरक्षण विधेयक पारित होने के बाद पहली जनगणना के बाद ही प्रभावी होगा।

सीमांकनः जनगणना के बाद, सीटों को आधिकारिक तौर पर आरक्षित करने से पहले एक सीमा निर्धारण अभ्यास (निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का पुनः चित्रण) किया जाना चाहिए।

"यह केवल प्रतिनिधित्व के बारे में नहीं है; यह सत्ता को पुनः परिभाषित करने के बारे में है। भारत सिर्फ एक ऐतिहासिक अन्याय को सही नहीं कर रहा है, बल्कि अपने लोकतांत्रिक वादे का चक्र पूरा कर रहा है। वर्तमान स्थिति (2026 संदर्भ) 2026 की शुरुआत तक, विधेयक पारित होने से हटकर जनगणना और सीमा निर्धारण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अब बहस इस बात पर केंद्रित है कि "शक्ति को पुनः परिभाषित करने" में विविध सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि की महिलाएं भी शामिल हों, जिसमें ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) उप–कोटा की मांग भी शामिल है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नई शक्ति संरचना यथासंभव प्रतिनिधि हो

शक्ति को पुनः परिभाषित करते हुए, हम इसे किसी से नहीं छीन रहे हैं। हम इसे सभी को शामिल करने के लिए विस्तारित कर रहे हैं। ❑❑

(डॉ विजय गर्ग, सेवानिवृत्त, प्रधान शैक्षिक स्तंभकार, प्रख्यात शिक्षाशास्त्री स्ट्रीट कौर चंद एमएचआर गलोट पंजाब)

उच्चतम न्यायालय की दो टूक

धर्म बदलते ही खत्म होगा एससी दर्जा

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पूर्व एक ऐसा फैसला सुनाया, जिसने सामाजिक न्याय की पूरी बहस को फिर से गरमा दिया है। अदालत ने साफ कहा कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी और धर्म में जाने वाला व्यक्ति अनुसूचित जाति का दर्जा तुरंत खो देता है। यह फैसला आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के पुराने आदेश को बरकरार रखते हुए आया, जिसमें गुंटूर जिले के चिंतादा आनंद नाम के एक पादरी की याचिका खारिज की गई थी। चिंतादा आनंद ने कुछ लोगों पर जातिगत गाली–गलौज और हमले का आरोप लगाते हुए एससी–एसटी अत्याचार निवारण कानून के तहत मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन आरोपियों ने कहा कि वह तो दशक से ज्यादा समय से ईसाई धर्म अपनाकर पादरी का काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें अब वह संरक्षण नहीं मिल सकता। हाईकोर्ट ने इस दलील को माना और अब सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की पीठ ने भी वही रुख अपनाया। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने कहा कि अपीलकर्ता के ईसाई बनने और सक्रिय रूप से प्रार्थनाएं कराने के सबूत साफ हैं, इसलिए एससी का दर्जा खत्म माना जाएगा।यह फैसला कोई नया कानून नहीं बनाता, बल्कि 1950 के संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश की धारा 3 को दोहराता है। उस आदेश में लिखा है कि अनुसूचित जाति का दर्जा सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म मानते हैं। कोई अन्य धर्म अपनाने पर जन्म से मिला यह हक स्वतः खत्म हो जाता है। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि यह प्रतिबंध पूर्ण है, इसमें कोई छूट या अपवाद नहीं। चाहे व्यक्ति का जन्म किसी भी दलित परिवार में हुआ हो, अगर वह ईसाई या मुस्लिम बन जाता है तो वह अब अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं रहता। ईसाई धर्म में जाति की कोई व्यवस्था नहीं मानी जाती, इसलिए जातिगत अत्याचार का कानून भी उस पर लागू नहीं होता। चिंतादा आनंद गांव में घर–घर रविवार की प्रार्थनाएं कराते थे, पादरी के रूप में काम करते थे। कोर्ट ने इन तथ्यों को देखते हुए कहा कि घटना के समय वह ईसाई धर्म का पालन कर रहे थे, इसलिए एससी–एसटी एक्ट के तहत शिकायत का आधार ही नहीं बनता।

भारत विविधताओं का देश है, लेकिन संविधान ने सामाजिक न्याय को कुछ धर्मों तक सीमित रखा है। अगर हर धर्म को एससी दर्जा दे दिया जाए तो पूरी आरक्षण व्यवस्था चरमरा सकती है।

– अजय कुमार

इस फैसले की गहराई समझने के लिए हमें संविधान की मूल भावना को याद करना होगा। डॉक्टर भीमराव आंबेडकर और संविधान सभा ने अनुसूचित जाति को विशेष दर्जा इसलिए दिया क्योंकि हिंदू समाज में सदियों से छुआछूत और अस्पृश्यता का भयानक अन्याय चला था। यह दर्जा ऐतिहासिक दमन की याद दिलाता है, न कि किसी व्यक्तिगत पसंद का। 1950 का आदेश शुरू में सिर्फ हिंदुओं के लिए था। बाद में सिखों को 1956 में और बौद्धों को 1990 में शामिल किया गया क्योंकि इन धर्मों में भी जातीय संरचना बनी रही। लेकिन इस्लाम और ईसाई धर्म खुद को जातिविहीन बताते हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई इनमें चला जाता है तो ऐतिहासिक पीड़ा का आधार भी खत्म हो जाता है। इसलिए आरक्षण, सरकारी नौकरियां, शिक्षा में सीटें, छात्रवृत्तियां और कानूनी सुरक्षा जैसे लाभ अब नहीं मिल सकते।फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या इससे धर्मांतरण रुकेगा? अनुच्छेद 25 के तहत धर्म बदलना हर भारतीय का मौलिक अधिकार है। कोई भी व्यक्ति अपनी आस्था बदल सकता है, प्रचार कर सकता है। लेकिन क्या यह अधिकार राज्य द्वारा

दिए गए आरक्षण जैसे लाभों पर भी लागू होता है? सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया नहीं। लाभ उस धर्म में झेली गई पीड़ा से जुड़े हैं, न कि व्यक्ति की नई आस्था से। अगर कोई दलित ईसाई बनकर भी पुराना एससी सर्टिफिकेट दिखाकर फायदा उठाता रहे तो असली हिंदू दलितों का हक छिन जाएगा। कोटा सीमित है, संसाधन सीमित हैं। नई आबादी जुड़ने से मौजूदा लाभार्थियों का हिस्सा कम हो जाएगा। राजनीति में भी असर पड़ेगा। आरक्षित सीटों पर उम्मीदवारों का चरित्र बदल सकता है। जो लोग धर्म बदलकर लाभ लेते रहे, उनके लिए अब रास्ता बंद हो गया।

लेकिन यह मुद्दा इतना सरल भी नहीं है। लंबे समय से एक बड़ा विवाद चल रहा है क्या ईसाई और मुस्लिम दलितों को भी अनुसूचित जाति का दर्जा देना चाहिए? 2007 में रंगनाथ मिश्रा आयोग ने सिफारिश की थी कि सभी धर्मों के दलितों को आरक्षण मिले क्योंकि सामाजिक पिछड़ापन धर्म बदलने से नहीं मिटता। लेकिन केंद्र सरकार ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। सरकार का कहना था कि आयोग ने बिना जमीनी अध्ययन के सिफारिश कर दी। अब पूर्व मुख्य न्यायाधीश के जी बालकृष्णन की अध्यक्षता में नया आयोग इस पूरे मसले पर गहराई से विचार कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी कई याचिकाएं लंबित हैं। इस फैसले ने उस बहस को और तेज कर दिया है। फिलहाल कोर्ट ने कहा कि बदलाव अगर करना है तो संसद करे, अदालत नहीं। 1950 का आदेश अभी पूरी तरह लागू है।सामाजिक रूप से देखें तो धर्मांतरण अक्सर बेहतर जीवन की तलाश में होता है। कई दलित परिवार सोचते हैं कि हिंदू समाज में मिलने वाला अपमान ईसाई या मुस्लिम बनकर कम हो जाएगा। लेकिन हकीकत में कई जगहों पर जाति की छाया उन नए धर्मों में भी दिखती है। फिर भी कानून साफ है। अगर कोई व्यक्ति वापस हिंदू हो जाता है और उसका समुदाय उसे स्वीकार कर लेता है तो दर्जा बहाल हो सकता है। लेकिन एक साथ दो धर्मों का पालन करके एससी का दावा नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने इस मामले में सबूतों पर जोर दिया। अगर कोई पादरी का काम कर रहा है, प्रार्थनाएं आयोजित कर रहा है तो वह ईसाई ही माना जाएगा। चिंतादा आनंद के मामले में यही हुआ।

आरक्षण का मकसद सामाजिक समानता लाना है, न कि धर्म बदलने को बढ़ावा देना। अगर बदलने से भी लाभ मिलते रहें तो मूल उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। सरकारी नौकरियों, विधानसभाओं और लोकसभा में सीटें उन लोगों के लिए आरक्षित हैं जिन्होंने हिंदू समाज में दमन झेला। ईसाई या मुस्लिम बनकर वे अब उस दमन की श्रेणी से बाहर हो जाते हैं। हालांकि वे ओबीसी या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में शामिल हो सकते हैं अगर उनका समुदाय सूची में है, लेकिन एससी का विशेष दर्जा नहीं मिलेगा। यह फैसला उन लोगों के लिए भी चेतावनी है जो धर्मांतरण को सिर्फ फायदे का साधन बनाते हैं।

सच्चा परिवर्तन आस्था से होना चाहिए, आरक्षण के लालच से नहीं। देश की एकता के नजरिए से भी यह फैसला अहम है। भारत विविधताओं का देश है, लेकिन संविधान ने सामाजिक न्याय को कुछ धर्मों तक सीमित रखा है। अगर हर धर्म को एससी दर्जा दे दिया जाए तो पूरी आरक्षण व्यवस्था चरमरा सकती है। कोटा बढ़ाने से पहले आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण जरूरी है। सरकार ने यही रुख अपनाया है। नया आयोग इसी दिशा में काम कर रहा है। फैसले से दलित समाज में दो धड़ों में बंटाव हो सकता है एक वे जो हिंदू रहकर संघर्ष कर रहे हैं, दूसरे वे जो धर्म बदल चुके हैं। लेकिन कोर्ट ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है। कोई भी व्यक्ति दो श्रेणियों का लाभ एक साथ नहीं ले सकता।

इस फैसले ने एक बार फिर साबित किया कि संविधान सर्वोच्च है। अदालत न भावनाओं से प्रभावित होती है, न राजनीतिक दबाव से। उसने 1950 के आदेश को दोहराया और कहा कि यह पूर्ण प्रतिबंध है। अब अगर बदलाव करना है तो संसद करे। चिंतादा आनंद की याचिका खारिज होने से उनका मुकदमा भी प्रभावित होगा। लेकिन इससे बड़े सवाल पर बहस शुरू हो गई है क्या सामाजिक पिछड़ापन धर्म से ऊपर है? जवाब अभी लंबित है, लेकिन फिलहाल संविधान की मूल भावना जीत गई।भारत जैसे देश में सामाजिक न्याय की राह हमेशा कठिन रही है। एक तरफ आरक्षण जरूरी है पिछड़ेपन को मिटाने के लिए, दूसरी तरफ इसके दुरुपयोग को रोकना भी उतना ही जरूरी। इस फैसले ने दुरुपयोग की एक बड़ी खिड़की बंद कर दी। अब जरूरत है कि सरकार और समाज मिलकर उन दलितों की मदद करें जो बिना धर्म बदले संघर्ष कर रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की योजनाएं और मजबूत हों। जातिगत भेदभाव पर सख्ती बढ़े। तभी सच्चा बदलाव आएगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सिर्फ कानूनी नहीं, नैतिक भी है। यह कहता है कि संविधान की रक्षा करो, उसकी भावना को मत तोड़ो। धर्म परिवर्तन व्यक्तिगत आस्था का मामला है, लेकिन राज्य के लाभ संवैधानिक सीमाओं में बंधे रहेंगे। यह फैसला देश को याद दिलाता है कि न्याय की राह पर चलते हुए संतुलन बनाए रखना होगा, न तो धर्म की आड़ में लाभ लूटने दो, न ही असली दलितों का हक किसी को छीनने दो। सामाजिक न्याय की यह लड़ाई अभी जारी रहेगी, लेकिन संविधान की दीवार मजबूत बनी रहेगी। ❑❑

राक्षसी शक्तियों के पतन के बाद प्रकृति की पुनर्स्थापना

दुर्गा सप्तशती (शाब्दिक अर्थ "दुर्गा पर सात सौ श्लोक"), जिसे देवी महात्म्य ("देवी की महिमा") या चंडी पाठ के नाम से भी जाना जाता है, मार्कण्डेय पुराण के अध्याय 81 से 93 तक का विस्तार है। जहाँ इसका प्राथमिक स्वागत भक्ति और तांत्रिक परंपराओं के भीतर हुआ है, वहीं यह ग्रंथ नैतिक आचरण, ब्रह्मांडीय व्यवस्था और प्राकृतिक तंत्रों के स्वास्थ्य के बीच संबंधों को समझने के लिए एक ढांचा प्रस्तुत करता है। इस लेख में हम तीन बातें प्रस्तावित करते हैं: प्रथम, कि सप्तशती में राक्षसी शक्तियाँ पारिस्थितिक विघटन के रूपक के रूप में कार्य करती हैं, वे तत्वों को "विकृत" करती हैं, प्राकृतिक चक्रों को अवरुद्ध करती हैं, और पृथ्वी को बंजर बना देती हैं। द्वितीय, कि देवी द्वारा इन शक्तियों का वध केवल हिंसा के रूप में नहीं, बल्कि पारिस्थितिक शुद्धिकरण के रूप में चित्रित किया गया है, प्रकृति के आत्म–नियमन में बाधाओं का शल्य चिकित्सीय निष्कासन। तृतीय, कि ग्रंथ का समाधान प्रकृति के पुनर्जन्म को धर्म की स्थापना के दृश्य संकेत के रूप में प्रस्तुत करता है, जिसमें नदियाँ बहती हैं, फसलें उगती हैं, और ऋतु चक्र लौट आते हैं।

सप्तशती तीन प्रमुख प्रसंग प्रस्तुत करती है, जिनका ब्रह्मांडीय महत्व बढ़ता जाता है: मधु–कैटभ का दमन, महिषासुर का वध, और शुम्भ–निशुम्भ तथा उनके सेनापतियों चंड, मुंड और रक्तबीज का विनाश। प्रत्येक कथा में, आसुरिक शासन को ऐसे शब्दों में वर्णित किया गया है जो राजनीतिक विजय से आगे बढ़कर पर्यावरणीय पतन को सम्मिलित करते हैं। जब महिषासुर स्वर्गीय क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है, तो ग्रंथ दर्ज करता है कि "सूर्य ने अपनी चमक खो दी, चंद्रमा ने अपनी शीतलता खो दी, और अग्नि नहीं जलती थी" (अध्याय 2)। यह अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकरण नहीं है, बल्कि तात्विक क्रियाशीलता की विफलता के बारे में एक सटीक कथन है। इसी प्रकार, शुम्भ–निशुम्भ कथा वर्णन करती है कि कैसे असुर प्राकृतिक शक्तियों की परिचालन क्षमताओं का हरण कर लेते हैं, इंद्र की वर्षा उत्पन्न करने

वनों की रक्षा करके, नदियों को साफ करके, ऋतु चक्रों का सम्मान करके, और अस्थिर गुणन को कम करके, हम सप्तशती की लड़ाई जारी रखते हैं। पर्यावरण देवी के बाहर नहीं है; पर्यावरण ही देवी है।

– दीपक शर्मा

की क्षमता, वायु की हवा चलाने की क्षमता, अग्नि की आग पैदा करने की क्षमता। यह अधिग्रहण स्पष्ट रूप से पारिस्थितिक है।

नदियों का स्वास्थ्य और हवा की शीतलता इस बात के सबसे सच्चे मापदंड हैं कि धर्म शासन कर रहा है या अधर्म। राक्षसी शक्तियाँ इस प्रकार "अति–प्रकृति" का प्रतिनिधित्व करती हैं, एक अलग पदार्थ नहीं, बल्कि अस्तित्व का एक परजीवी तरीका जो प्रकृति की आत्म–अभिव्यक्ति में बाधा डालता है। उनका शासन सूखे, रोग, भूमि की बंजरता, और पाँच तत्वों के भ्रष्टाचार द्वारा विशेषित है: पृथ्वी बंजर हो जाती है, जल विष में बदल जाता है, अग्नि अनियमित रूप से जलती है, वायु विनाशकारी तूफान बन जाती है, और सृष्टि की प्राथमिक ध्वनि (शब्द) राक्षसों की कोलाहल बन जाती है।

महत्वपूर्ण रूप से, ग्रंथ नैतिक अव्यवस्था को पारिस्थितिक अव्यवस्था के समकक्ष मानता है। जब देवी अध्याय 11 में घोषणा करती हैं, "जब भी धर्म का ह्रास और अधर्म का उदय होता है, मैं स्वयं प्रकट होती हूँ... सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए, और धर्म की स्थापना के लिए," तो धर्म शब्द को भूत–धर्म, सभी प्राणियों और तत्वों के प्रति सही आचरण, को शामिल करने के लिए समझा जाना चाहिए। राक्षसियों ने "सारी प्रकृति को विकृत कर दिया है": उन्होंने जल स्रोतों को प्रदूषित कर दिया है, पृथ्वी को झुलसा दिया है, और ऋतु तथा वृद्धि के प्राकृतिक चक्रों को अवरुद्ध कर दिया है।

देवी का आसुरी शक्तियों के साथ युद्ध, जिसे अक्सर अकारण हिंसा के रूप में गलत समझा जाता है, ग्रंथ की प्रतीकात्मक अर्थव्यवस्था के भीतर पारिस्थितिक शल्य चिकित्सा के एक रूप के रूप में कार्य करता है। प्रत्येक प्रमुख युद्ध असंतुलन के एक विशिष्ट रूप को लक्षित करता है, और प्रत्येक विजय एक विशिष्ट पर्यावरणीय बहाली उत्पन्न करती है। महिषासुर प्रसंग शिक्षाप्रद है। भैंस–राक्षस रूप बदलता है, भैंस, सिंह, हाथी, प्रत्येक पशु प्रकृति के एक हिंसक विरूपण का प्रतिनिधित्व करता है। ग्रंथ संकेत करता है कि उसकी मृत्यु जानवरों को उनकी उचित अवस्था (स्वभाव) में लौटा देती है। वध विनाश नहीं, बल्कि पुनःसंरेखण है। रक्तबीज कथा अपने पारिस्थितिक प्रतीकवाद में विशेष रूप से परिष्कृत है। रक्तबीज का वरदान, कि उसके रक्त की प्रत्येक बूंद जो पृथ्वी पर गिरती है, एक और राक्षस उत्पन्न करती है, उसे दर्शाता है जिसे अस्थिर गुणन या पारिस्थितिक प्रतिक्रिया लूप कहा जा सकता है। "उसे मारो, और वह बढ़ जाता है। उसे एक कोने में दबाओ, और वह दस अन्य में उठ खड़ा होता है। क्या यह हमारे जलवायु संकट की कहानी नहीं है? एक जंगल जलाओ, और दस नए जंगल की आग भड़क उठती हैं... एक प्रदूषक छोड़ो, और वह मिट्टी, वायु और महासागर के माध्यम से गुणा हो जाता है।" देवी काली को अपनी जीभ युद्ध क्षेत्र में फैलानी पड़ती है, रक्त को जमीन को छूने से पहले पीना पड़ता है। यह कार्य भूमि के आगे संदूषण को रोकता है और केवल विस्थापित करने के बजाय विषाक्तता को अवशोषित और निष्क्रिय करने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है।

चंड और मुंड के वध के बाद, देवी को चामुंडा के रूप में जय–जयकार की जाती है। तत्काल परिणाम को स्पष्ट पारिस्थितिक शब्दों में वर्णित किया गया है। अध्याय 12 दर्ज करता है: "तब ऋतुओं ने अपना मार्ग फिर से शुरू किया, ग्रह अपनी कक्षाओं में चले गए, हवाएँ धीरे से चलने लगीं, अग्नि स्थिर रूप से जलने लगी।" ग्रंथ आगे कहता है: *"हतेषु दैत्येषु महासुरेषु, प्रकृतिः सहसा समजायत"* – "जब महान असुर मारे गए, तब प्रकृति अचानक जन्मी/पुनर्जीवित हुई।" जो नदियाँ अवरुद्ध या सूख गई थीं, वे बहने लगती हैं: *"सरितः प्रसन्नसलिला वहन्ति"* – "नदियाँ स्वच्छ जल से बहने लगीं।" पृथ्वी फिर से हरी हो जाती है: *"सस्यानि सर्वाणि प्ररोहन्ति"* – "सभी फसलें उगने लगती हैं।"

सप्तशती परंपरा में सबसे स्पष्ट पर्यावरणीय कथन फलश्रुति और अध्याय 12 में देवी के वचन में मिलता है, जहाँ वह घोषणा करती हैं कि अकाल, सूखा और महामारी के समय, वह शाकम्भरी के रूप में अवतरित होंगी, शाब्दिक अर्थ "वह जो सब्जियाँ धारण करती है" (शाक से, सब्जी/पादप भोजन, और भरी, धारण करने वाली/पोषण करने वाली)।

शाकम्भरी कथा, जो देवी भागवत पुराण और शिव पुराण में विस्तार से वर्णित है, सौ वर्षों के सूखे का वर्णन करती है जो दुर्गमासुर नामक राक्षस के कारण हुआ, जिसने ऋषियों को वेदों को भुला दिया, जिससे ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखने वाले अनुष्ठान चक्र को बाधित किया गया। वैदिक पाठ के बिना, कोई होम (अग्नि–आहुति) नहीं की जाती; आहुति के बिना, सूर्य को अर्घ्य प्राप्त नहीं होता; अर्घ्य के वर्षा में रूपांतरित हुए बिना, पृथ्वी सूख जाती है। यह कारण श्रृंखला, पाठ्य स्मृति से अनुष्ठानिक क्रिया तक मौसम विज्ञान प्रक्रिया तक, ग्रंथ की पारिस्थितिकी की समझ को एक बड़े सांकेतिक और नैतिक व्यवस्था में अंतर्निहित के रूप में प्रकट करती है।

देवी शताक्षी ("सौ आंखों वाली") के रूप में प्रकट होती हैं और लगातार नौ रातों तक रोती हैं। उनके आँसू नदियाँ बन जाते हैं; उनका शरीर फल, सब्जियाँ और अन्न उत्पन्न करता है जो भूखों को भोजन देते हैं। वह फिर दुर्गमासुर को पराजित करती हैं और ऋषियों को वेद

लौटा देती हैं। जैसा कि विकिपीडिया प्रविष्टि सारांशित करती है, "दुष्ट असुर दुर्गमासुर द्वारा ऋषियों को वेद भुलाकर पृथ्वी को पोषण से वंचित करने के बाद, देवी मनुष्यों और देवों को पर्याप्त फल और सब्जियाँ प्रदान करने के लिए प्रकट हुईं ताकि उनकी शक्ति बहाल हो सके।" यह प्रसंग पर्यावरणीय धर्मशास्त्र के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह देवी को केवल प्रकृति की रक्षक के रूप में नहीं, बल्कि स्वयं प्रकृति के रूप में पहचानता है। देवी पौधों को बढ़ने का आदेश नहीं देतीं; वह वनस्पति बन जाती हैं। वह वर्षा नहीं भेजतीं; उनके अपने आँसू नदियाँ बन जाते हैं। पारिस्थितिक संकट बाहरी हस्तक्षेप के माध्यम से नहीं, बल्कि दिव्य अवतार के माध्यम से हल होता है।

सप्तशती की पर्यावरणीय दृष्टि पाँच महाभूतों की एक परिष्कृत ऑन्टोलॉजी (सत्तामीमांसा) में आधारित है। अध्याय 5 के देवी सूक्त में, देवता एक सटीक तात्विक सूची के साथ देवी की स्तुति करते हैं:

"तुम पृथ्वी हो, अपनी गंध के साथ
तुम जल हो, अपने रस के साथ
तुम तेज हो, अपने रूप के साथ
तुम वायु हो, अपने स्पर्श के साथ
तुम आकाश हो, अपने शब्द के साथ"

तत्वों के गुणात्मक सार (तन्मात्र) के साथ देवी की यह पहचान का अर्थ है कि जब राक्षसी शक्तियाँ प्रभुत्व रखती हैं, तो ये तत्व केवल प्रभावित नहीं होते, बल्कि उल्लंघित होते हैं। पृथ्वी अपनी गंध खो देती है (बंजर हो जाती है), जल अपना रस खो देता है (विषैला हो जाता है), अग्नि अपना रूप खो देती है (अनियंत्रित हो जाती है), वायु अपना स्पर्श खो देती है (हिंसक तूफान बन जाती है), आकाश अपना शब्द खो देता है (राक्षसी दहाड़ बन जाता है)। देवी की विजय प्रत्येक तत्व को उसके स्वभाव, उसके अंतर्निहित स्वरूप और उचित कार्यप्रणाली, को पुनर्स्थापित करती है। इस प्रकार, सप्तशती में पारिस्थितिक संतुलन एक बाहरी स्थिति नहीं है, बल्कि एक धार्मिक अवस्था है, जिसका दृश्य संकेत है कि धर्म प्रबल है और देवी उपस्थित एवं निर्बाध हैं।

समकालीन पारिस्थितिक पठन

एंथ्रोपोसीन (मानवजनित युग) के संदर्भ में दुर्गा सप्तशती को पढ़ना एक सम्मोहक पर्यावरणीय नीतिशास्त्र उत्पन्न करता है। "राक्षसी जिसने सारी प्रकृति को विकृत कर दिया" को शोषणकारी मानव आचरण के रूप में समझा जा सकता है: वनों की कटाई जो जल चक्रों को बाधित करती है, औद्योगिक प्रदूषण जो मिट्टी और जल को दूषित करता है, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन जो ऋतु पैटर्न को बाधित करता है। असुर पारिस्थितिक हिंसा के विशिष्ट रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं: महिषासुर बिना बुद्धि के कच्ची शक्ति है; रक्तबीज अस्थिर गुणन (जनसंख्या वृद्धि, चक्रवृद्धि आर्थिक विकास, कार्बन फीडबैक लूप) है; शुम्भ–निशुम्भ अहंकार और स्वामित्व है जो दावा करते हैं "यह सारी पृथ्वी मेरी है।"

इस पठन में, देवी के हथियार भी पारिस्थितिक सिद्धांत हैं: त्रिशूल तीन गुणों का प्रतिनिधित्व करता है जो संतुलन में रहने चाहिए; शंख सृष्टि की प्राथमिक ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है (पारितंत्रों की कंपनात्मक अखंडता); कमल कीचड़ से उभरती पवित्रता का प्रतिनिधित्व करता है (क्षीण परिस्थितियों से पुनर्जनन); धनुष और बाण लक्षित हस्तक्षेप के लिए केंद्रित ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका सिंह वाहन संकेत देता है कि कच्ची पशु शक्ति को बुद्धि और संयम द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए।

ग्रंथ की अनुष्ठानिक परंपराकृ नवरात्रि के अनुष्ठान जिनमें भूमि–पूजन, कलश–स्थापना (जल और अन्न का घड़ा स्थापित करना), और कन्या–पूजन (युवा लड़कियों की स्त्री ऊर्जा के अवतार के रूप में पूजा) शामिल हैं, सभी पृथ्वी, जल और उर्वरता का सम्मान करते हैं। अंतिम प्रार्थना, अपराध–क्षमापण स्तोत्र (अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना), जो "जानबूझकर या अनजाने में प्राणियों को हानि पहुँचाने के लिए" क्षमा माँगती है, पर्यावरणीय प्रायश्चित के रूप में कार्य करती है।

दुर्गा सप्तशती एक व्यवस्थित पारिस्थितिक धर्मशास्त्र को व्यक्त करने वाले सबसे प्रारंभिक ज्ञात ग्रंथों में से एक है। इसका मूल अंतर्दृष्टि यह है कि पारिस्थितिक संकट एक धार्मिक संकट है, और पारिस्थितिक बहाली दिव्य कृपा का दृश्य संकेत है। सभी राक्षसी शक्तियों के वध के बाद, प्रकृति को शून्य से सृजित नहीं किया जाता है, बल्कि बंधन से मुक्त किया जाता है, नदियाँ बहती हैं, फसलें उगती हैं, ऋतुएँ लौटती हैं क्योंकि जिन शक्तियों ने प्राकृतिक नियम को बाधित किया था, उन्हें हटा दिया गया है।

जलवायु संकट, जैव विविधता के पतन, और पर्यावरणीय क्षरण का सामना कर रहे समकालीन पाठकों के लिए, ग्रंथ एक स्पष्ट नैतिक आह्वान जारी करता है: प्रकृति के प्रति आसुरिक व्यवहार, पुनर्जनन के बिना निष्कर्षण, कृतज्ञता के बिना उपभोग, जवाबदेही के बिना प्रदूषण, नदियों को बंद कर देगा और खेतों को झुलसा देगा। देवी का आह्वान करना संतुलन का आह्वान करना है। वनों की रक्षा करके, नदियों को साफ करके, ऋतु चक्रों का सम्मान करके, और अस्थिर गुणन को कम करके, हम सप्तशती की लड़ाई जारी रखते हैं। पर्यावरण देवी के बाहर नहीं है; पर्यावरण ही देवी है। जब हम इसे ठीक करते हैं, तो हम उनकी उपस्थिति का आह्वान करते हैं। जब हम इसे विकृत करते हैं, तो हम उन्हीं राक्षसी शक्तियों को बुलाते हैं जिन्हें वह मारने आई थीं। ❑❑

ऑस्ट्रिया-भारत व्यापार समझौता

विकास के बनेंगे नये अवसर

भारत और ऑस्ट्रिया के बीच संबंधों को नई दिशा देने वाली पहल के तहत ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टाकर की भारत यात्रा न केवल द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती का संकेत है बल्कि यह वैश्विक परिदृश्य में बदलती प्राथमिकताओं के बीच एक नई साझेदारी के निर्माण का प्रतीक भी है। लगभग चार दशकों के बाद हुई यात्रा को भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के बाद आर्थिक और राजनीतिक सहयोग के नए अवसर के रूप में देखा जा रहा है। भारत और ऑस्ट्रिया के संबंध पहले से ही अवसंरचना, नवाचार और सतत विकास के क्षेत्रों में मजबूत रहे हैं। दिल्ली मेट्रो और अटल सुरंग जैसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में ऑस्ट्रिया की तकनीकी विशेषज्ञता का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके अलावा रेलवे परियोजनाओं, रोपवे, स्वच्छ ऊर्जा और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों में भी ऑस्ट्रियाई कंपनियों की सक्रिय भागीदारी रही है।

दोनों देशों के बीच हुए 15 करार

इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कुल पंद्रह महत्वपूर्ण समझौते और पहलें सामने आईं, जो रक्षा, प्रौद्योगिकी, व्यापार, नवाचार और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों को कवर करती हैं। इनमें सबसे प्रमुख है आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त कार्य समूह की स्थापना का प्रस्ताव, जो वैश्विक स्तर पर आतंकवाद से निपटने में रणनीतिक सहयोग को मजबूत करेगा।

रक्षा क्षेत्र में भी सहयोग को नई गति देने के लिए सैन्य मामलों में सहयोग पर एक आशय पत्र पर सहमति बनी है। इसके तहत रक्षा उद्योग, नीति संवाद, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा। यह पहल भारत और यूरोप के बीच हाल ही में हुए सुरक्षा सहयोग को भी मजबूती प्रदान करेगी।

आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक फास्ट ट्रैक तंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है, जिससे दोनों देशों की कंपनियों और निवेशकों को आने वाली समस्याओं

प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर यह भी कहा कि भारत की प्रतिभा और ऑस्ट्रिया की नवाचार क्षमता मिलकर वैश्विक स्तर पर भरोसेमंद तकनीक और आपूर्ति श्रंखला विकसित कर सकती है।

– शिवनंदन लाल

का शीघ्र समाधान किया जा सकेगा। इससे व्यापार को सुगम बनाने और निवेश को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।

सांस्कृतिक और रचनात्मक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए ऑडियो विजुअल सह उत्पादन समझौता किया गया है, जिससे दोनों देशों के फिल्म उद्योग के बीच संयुक्त निर्माण और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिलेगा। खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है, जिसके तहत वैज्ञानिक सहयोग, मानकों के आदान प्रदान और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया जाएगा। इससे कृषि और खाद्य उत्पादों के व्यापार को भी मजबूती मिलेगी।

इसके अलावा, दोनों देशों के बीच कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक संयुक्त आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें प्रशिक्षुता प्रणाली, ज्ञान साझा करने और योग्यता की पारस्परिक मान्यता पर जोर दिया गया है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए संरचित संवाद शुरू करने और तकनीकी विश्वविद्यालयों के माध्यम से भारतीय छात्रों के लिए नए अवसर उपलब्ध कराने की पहल भी की गई है।

इस यात्रा के दौरान स्टार्टअप सहयोग को बढ़ाने, साइबर सुरक्षा संवाद शुरू करने, अंतरिक्ष उद्योग में संयुक्त सेमिनार आयोजित करने और वर्किंग हॉलिडे कार्यक्रम को लागू करने जैसी घोषणाएं भी की गईं। उच्च प्रौद्योगिकी जैसे क्वांटम तकनीक, मशीन लर्निंग, जल शोधन और सामग्री विज्ञान में संयुक्त अनुसंधान को साझेदारी का मुख्य आधार बनाया गया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर यह भी कहा कि भारत की प्रतिभा और ऑस्ट्रिया की नवाचार क्षमता मिलकर वैश्विक स्तर पर भरोसेमंद तकनीक और आपूर्ति श्रृंखला विकसित कर सकती

यूरोप के मध्य में स्थित ऑस्ट्रिया, भारत के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक सेतु का काम करता है, जिससे भारत को यूरोप के बाजारों, तकनीक और निवेश तक बेहतर पहुंच मिलती है।

है। उन्होंने रक्षा, सेमीकंडक्टर, जैव प्रौद्योगिकी और क्वांटम क्षेत्रों में सहयोग की अपार संभावनाओं को रेखांकित किया। इसके अलावा, मानव संसाधन के क्षेत्र में भी दोनों देशों ने प्रगति की दिशा में कदम बढ़ाया है। वर्ष 2023 में हुए प्रवासन और गतिशीलता समझौते के तहत अब नर्सिंग क्षेत्र में भी सहयोग को विस्तार दिया जाएगा। युवा आदान प्रदान को प्रोत्साहित करने के लिए वर्किंग हॉलिडे कार्यक्रम की शुरुआत की गई है।

साथ ही वैश्विक परिदृश्य पर चर्चा करते हुए दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई कि सैन्य संघर्ष किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। चाहे यूक्रेन का संकट हो या पश्चिम एशिया की स्थिति, दोनों देशों ने स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन किया। साथ ही वैश्विक संस्थाओं में सुधार और आतंकवाद के पूर्ण उन्मूलन की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया।

हम आपको एक बार फिर बता दें कि ऑस्ट्रिया भारत के लिए एक महत्वपूर्ण यूरोपीय साझेदार है। यह मध्य और पूर्वी यूरोप में प्रवेश का एक प्रमुख द्वार है और हरित प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा तथा उन्नत इंजीनियरिंग में इसकी विशेषज्ञता भारत के विकास कार्यक्रमों के लिए उपयोगी है। दोनों देशों के बीच व्यापार लगातार बढ़ रहा है और यह लगभग तीन अरब डॉलर के स्तर तक पहुंच चुका है।

वैश्विक परिदृश्य पर क्या असर पड़ेगा?

देखा जाये तो भारत और ऑस्ट्रिया के बीच मजबूत होते संबंधों का प्रभाव वैश्विक भू–राजनीति पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। यूरोप के मध्य में स्थित ऑस्ट्रिया, भारत के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक सेतु का काम करता है, जिससे भारत को यूरोप के बाजारों, तकनीक और निवेश तक बेहतर पहुंच मिलती है। इस सहयोग से भारत की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भूमिका और अधिक मजबूत होगी, विशेषकर उच्च प्रौद्योगिकी, रक्षा और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में। इसके साथ ही, ऑस्ट्रिया का भारत के प्रति समर्थन अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की स्थिति को सुदृढ़ करेगा, खासकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता जैसे मुद्दों पर। दक्षिण एशिया के संदर्भ में यह साझेदारी भारत की रणनीतिक बढ़त को और मजबूत करेगी, क्योंकि उन्नत तकनीक, रक्षा सहयोग और आर्थिक निवेश के माध्यम से भारत क्षेत्रीय नेतृत्व को और प्रभावी ढंग से स्थापित कर सकेगा। इससे न केवल भारत की सुरक्षा क्षमताएं बढ़ेंगी, बल्कि वह क्षेत्र में स्थिरता, विकास और संतुलन बनाए रखने में भी अधिक सक्षम भूमिका निभा सकेगा।

बहरहाल, ऑस्ट्रिया के चांसलर की भारत यात्रा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि दोनों देशों के संबंध अब पारंपरिक सहयोग से आगे बढ़कर नवाचार केंद्रित और भविष्य उन्मुख साझेदारी की ओर अग्रसर हैं। दोनों देशों ने मिलकर एक ऐसे सहयोग मॉडल की नींव रखी है जो न केवल द्विपक्षीय हितों को साधेगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी स्थिरता और प्रगति में योगदान देगा। ❑❑

स्वदेशी के हिमायती लोकतंत्र प्रहरी पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर

पूर्व प्रधानमन्त्री श्री चंद्रशेखर को याद करते हुए एक ऐसे राजनीतिक शख्सियत का चेहरा सामने आता हैं, जो बिना राजनीतिक नफा–नुकसान की परवाह किए, देशहित में दूरगामी परिणामों को ध्यान में रखते हुए देश के सामने अपनी बेबाक राय रखने के लिए जाने जाते हैं। यारों के यार तो वे थे ही, अपने निजी सरोकारों को निभाने में भी उनका कोई जबाब नहीं था। चंद्रशेखर जी की विपरीत परिस्थितियों में साहसिक निर्णय लेने की परख उस वक्त भी देखने में आई, जब प्रथम खाड़ी युद्ध शुरू हुआ और देश के सामने विदेशी मुद्रा का भारी संकट था। ऐसी विकट परिस्थिति आ गई थी कि जरूरी वस्तुओं के आयात के लिए भी विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म होने के कगार पर पहुंच गया था।

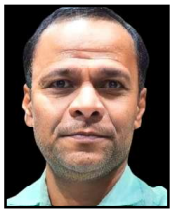

आजीवन रोटी–कपड़ा–मकान–पढ़ाई और दवाई के लिए संघर्षरत चंद्रशेखर स्वदेशी की अहमियत को बखूबी पहचानते थे। स्वदेशी जागरण मंच के कार्यक्रमों पर विश्वास जताते हुए उन्होंने विदेशी कारपोरेट कंपनियों को लेकर आपत्ति जतायी तथा देश में गांधी विचार को प्रासंगिक बताते हुए छोटे और कुटीर उद्योगों के पर्याप्त संरक्षण की वकालत की थी।

– हेमेन्द्र क्षीरसागर

कठिन समय का मुकाबला

जीवनरक्षक दवाओं के आयात के लिए भी एक हफ्ते का विदेशी मुद्रा शेष था। पेट्रोलियम पदार्थों के आयात के लिए भी विदेशी मुद्रा की लगभग वैसी ही स्थिति थी। तब केंद्र में चंद्रशेखर जी की अल्पसंख्यक सरकार कांग्रेस के सहयोग से चल रही थी। देश के सामने रिजर्व बैंक का सोना गिरवी रखकर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से 'लोन' लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। तत्कालीन आईएमएफ के चेयरमैन भारत पर कर्ज के एवज में मनमानी शर्तें थोपने पर आमादा थे। यह मानकर कि यह सरकार अल्पसंख्यक है और ज्यादा दिन चलेगी नहीं। आई एम एफ चेयरमैन ने बातचीत के सिलसिले में ही एक बार यहां तक हिदायत दे दिया कि, अगर हम कर्ज देने से मना कर दिए, तब आप क्या करेंगे? चन्द्रशेखर जी का सीधा जबाब था कि– एक तो शर्तों के मुताबिक आप ऐसा कर नहीं सकते, दूसरा अगर आप ऐसा करते हैं, तो मैं इस मीटिंग से उठकर सीधे आकाशवाणी जाऊंगा और

देशवासियों से अपील करूंगा कि आईएमएफ से कर्ज मिलने की संभावनाएं खत्म हो चुकी है। देशवासियों आप आने वाले कठिन समय का मुकाबला करने के लिए तैयार रहें।

बेबाक जबाब

जब कभी बातचीत के दौरान चंद्रशेखर जी से पूछा जाता था कि, देश का सोना गिरवी रखते हुए आपको यह नहीं लगता था कि इससे देश की बदनामी होगी? चंद्रशेखर जी का बेबाक जबाब होता था कि– आखिर अपने घर की बहू–बेटियों के लिए सोने के गहने–जेवरात किस लिए दान दिए जाते हैं? उसके पीछे असली मकसद यहीं होता है कि– किसी विपरीत परिस्थिति में वे अपना गहना–जेवर गिरवी रखकर अपना जीवन निर्वाह करें। महज श्रृंगार के लिए ही गहने–जेवर नहीं होते हैं। यह एक ठेठ गवई मन के सोच का ही नतीजा है, जो प्रधानमंत्री बनने के बाद भी चंद्रशेखर जी के पूरे व्यक्तित्व में आजीवन बरकरार रहा।

सामाजिक परिवर्तन की राजनीति

आजीवन रोटी–कपड़ा–मकान–पढ़ाई और दवाई के लिए संघर्षरत चंद्रशेखर स्वदेशी की अहमियत को बखूबी पहचानते थे। स्वदेशी जागरण

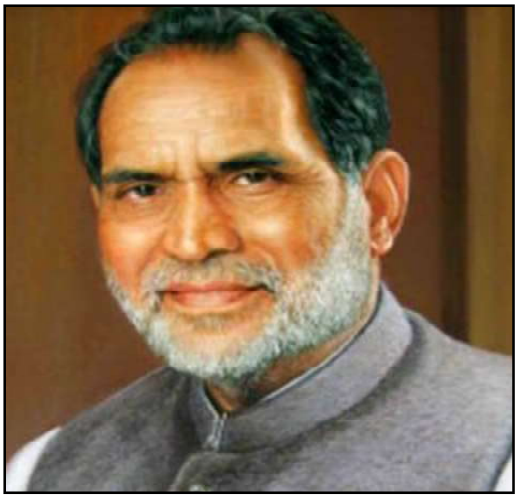

आपातकाल के दौरान जेल में बिताये समय में उन्होंने हिंदी में एक डायरी लिखी थी जो बाद में 'मेरी जेल डायरी' के नाम से प्रकाशित हुई। 'सामाजिक परिवर्तन की गतिशीलता' उनके लेखन का एक प्रसिद्ध संकलन है।

मंच के कार्यक्रमों पर विश्वास जताते हुए उन्होंने विदेशी कारपोरेट कंपनियों को लेकर आपत्ति जतायी तथा देश में गांधी विचार को प्रासंगिक बताते हुए छोटे और कुटीर उद्योगों के पर्याप्त संरक्षण की वकालत की थी। वह हमेशा सत्ता की राजनीति का विरोध करते थे एवं लोकतांत्रिक मूल्यों तथा सामाजिक परिवर्तन के प्रति प्रतिबद्धता की राजनीति को महत्व देते थे। आपातकाल के दौरान जेल में बिताये समय में उन्होंने हिंदी में एक डायरी लिखी थी जो बाद में 'मेरी जेल डायरी' के नाम से प्रकाशित हुई। 'सामाजिक परिवर्तन की गतिशीलता' उनके लेखन का एक प्रसिद्ध संकलन है। देश के लिए अपना सर्वस्व होम करने वाले चन्द्रशेखर का जन्म 17 अप्रैल 1927 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित इब्राहिमपट्टी गांव के एक किसान परिवार में हुआ था। चन्द्रशेखर अपने छात्र जीवन से ही राजनीति की ओर आकर्षित थे। क्रांतिकारी जोश एवं गर्म स्वभाव वाले वाले आदर्शवादी के रूप में जाने जाते थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में अपनी मास्टर डिग्री करने के बाद वे समाजवादी आंदोलन में शामिल हो गए। उन्हें आचार्य नरेंद्र देव के साथ बहुत निकट से जुड़े होने का सौभाग्य प्राप्त था। 10 नवंबर, 1990 से 21 जून, 1991 तक देश के 8वें प्रधानमंत्री रहे चन्द्रशेखर ने 8 जुलाई, 2007 को अंतिम सांस ली। ऐसे महामना की जन्मशती शुरू होने पर विनम्र शब्दांजलि...! ❑❑

(हेमेन्द्र क्षीरसागर, पत्रकार, लेखक व स्तंभकार)

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका आर्थिक सम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

संपादक, स्वदेशी पत्रिका

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

प्रेस विज्ञप्ति

युद्ध से उत्पन्न चुनौतियाँ और आगे का रास्ता

मध्य–पूर्व क्षेत्र में अमेरिका और इज़राइल तथा ईरान के बीच संघर्ष से उत्पन्न हुई एक अभूतपूर्व स्थिति के कारण युद्ध की लपटों ने पूरे क्षेत्र के देशों को अपनी चपेट में ले लिया है। इसका न केवल गैस, तेल, उर्वरक और अन्य आवश्यक सामग्रियों की कीमतों और आपूर्ति पर असर पड़ा है, बल्कि इससे शरारती तत्वों को भी स्थिति का फायदा उठाने का मौका मिल गया है। वे भविष्य में कमी की आशंका के मद्देनजर इन सामग्रियों की जमाखोरी कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने लोगों को यह भरोसा दिलाया है कि वह तेल और गैस की कीमतें बढ़ने नहीं देगी, फिर भी बड़े पैमाने पर फैली घबराहट के चलते लोग एलपीजी और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के लिए कतारों में खड़े हो रहे हैं। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि एलपीजी सिलेंडरों की औसत दैनिक बुकिंग, जो 55 से 60 लाख थी, अचानक बढ़कर प्रतिदिन 75 से 88 लाख हो गई है; इसी तरह, पेट्रोल की मांग में भी काफी उछाल आया है। अकेले उत्तर प्रदेश में ही, एक ही दिन में पेट्रोल की मांग में 46 प्रतिशत की वृद्धि हो गई। हालाँकि देश में पेट्रोल, डीजल और गैस की पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, और सरकार के कूटनीतिक प्रयासों से लगातार आपूर्ति भी आ रही है। सरकार भी बार बार आश्वस्त कर रही है, फिर भी घबराहट में की जा रही खरीदारी के कारण कमी पैदा हो रही है, जिससे लोगों में चिंता बढ़ रही है।

समझा जा सकता है कि स्थिति बहुत अनिश्चित है और यह पता नहीं है कि युद्ध कब समाप्त होगा। हालाँकि, वर्तमान में भारत 'होरमुज़ जलडमरूमध्य' के रास्ते पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति प्राप्त करने में सक्षम है, लेकिन यदि युद्ध और अधिक भड़कता है, तो आपूर्ति पर बुरा असर पड़ सकता है। मध्य–पूर्व क्षेत्र में बढ़ता तनाव तेल की कीमतों को और ऊपर धकेल सकता है, जिससे वैश्विक मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिलेगा और अमेरिका में भी मंदी का जोखिम बढ़ जाएगा। इतना ही नहीं, मुद्राओं का अवमूल्यन, बढ़ता चालू खाता घाटा और विदेशी मुद्रा भंडार पर बढ़ता दबाव, ये सभी कारक उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के भविष्य को विशेष रूप से नाजुक बना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी युद्ध के कारण उत्पन्न हो रही इन सभी चुनौतियों की ओर संकेत किया है।

युद्ध जैसी उभरती हुई वैश्विक स्थिति ने, महत्वपूर्ण आर्थिक और रणनीतिक आवश्यकताओं के लिए बाहरी ताकतों पर अत्यधिक निर्भरता की कमजोरियों को भी उजागर कर दिया है। जैसा कि कोविड–19 ने हमें यह एहसास कराया कि दुनिया में कोई भी उथल–पुथल, उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला में रुकावट के कारण देश के लिए समस्याएँ खड़ी कर सकती है, और आर्थिक गतिविधियों को ठप कर सकती है। मौजूदा युद्ध का माहौल भी इससे अलग नहीं है। लेकिन, यह भी सच है कि भारत के पास वैश्विक अनिश्चितताओं से सफलतापूर्वक निपटने की क्षमता, लचीलापन और संसाधन मौजूद हैं। ज़रूरत है तो बस आत्मनिर्भरता, आर्थिक राष्ट्रवाद और जागरूक सार्वजनिक आचरण के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता की।

स्वदेशी जागरण मंच एक आत्मनिर्भर भारत की नींव को मज़बूत करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है और सभी हितधारकों, सरकार, उद्योग और नागरिकों, से इस दिशा में मिलकर काम करने का आह्वान करता है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि यद्यपि वैश्विक परस्पर निर्भरता एक वास्तविकता है, फिर भी दुनिया में किसी भी उथल–पुथल का हमारी अर्थव्यवस्था के सुचारू कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। यह केवल आत्मनिर्भरता के उच्च स्तर को प्राप्त करके ही संभव है। वर्तमान में हम आयातित कच्चे तेल पर 88 प्रतिशत तक और गैस पर लगभग 50 प्रतिशत तक निर्भर हैं, और यह निर्भरता लगातार बढ़ती ही जा रही है, हमें ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के माध्यम से इस निर्भरता को व्यवस्थित रूप से कम करने की आवश्यकता है। हमारा देश धीरे–धीरे इलेक्ट्रिक वाहनों, सौर, पवन, परमाणु और ऊर्जा के अन्य नवीकरणीय स्रोतों की ओर बढ़ रहा है। हालाँकि, इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बदलाव अन्य देशों की तुलना में धीमा है; सौर ऊर्जा में आत्मनिर्भरता 20 प्रतिशत से भी कम है, जबकि पवन ऊर्जा उपकरणों में आत्मनिर्भरता लगभग 70 से 80 प्रतिशत तक पहुँच गई है; परमाणु ऊर्जा भारत के कुल बिजली उत्पादन का मुश्किल से 2.5 से 3 प्रतिशत ही प्रदान करती है। हमारी सरकार पहले से ही आत्मनिर्भरता के मार्ग पर अग्रसर है; इस तथ्य को देखते हुए कि जलविद्युत उत्पादन को छोड़कर, कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों पर हमारी निर्भरता के कारण हम वैश्विक झटकों से ज़्यादा प्रभावित होते हैं, हमें सौर, पवन और परमाणु ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों में आत्मनिर्भरता बढ़ाने की गति को तेज़ करने की आवश्यकता है।

इस स्थिति में, स्वदेशी जागरण मंच देशभक्त नागरिकों से भी अपील करता है कि:

1. केवल सत्यापित और आधिकारिक सूचना स्रोतों पर ही भरोसा करें।
2. असत्यापित संदेशों और अफवाहों को आगे भेजने से बचें।
3. राष्ट्रीय एकता को बनाए रखें और देश के व्यापक हित में जिम्मेदारी से कार्य करें।
4. आने वाले दिनों में, जितना हो सके पेट्रोल, गैस और डीज़ल बचाएँ, और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करें। नागरिकों का यह सामूहिक प्रयास देश को इस कठिन परिस्थिति से उबरने में मदद कर सकता है।

डॉ. अश्वनी महाजन *(राष्ट्रीय सह–संयोजक)*

निधि समर्पण अभियान के तहत व्यापारियों से चर्चा

स्वदेशी जागरण मंच, जिला अम्बाला द्वारा व्यापारियों से चर्चा एवं निधि समर्पण अभियान हेतु एक संगोष्ठी का आयोजन आल्ट्रासिटी प्लाजा के हाल में किया गया। संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संगठक श्री कश्मीरी लाल ने हिस्सा लिया। विशिष्ट अतिथि की भूमिका में श्री कुलदीप पुनिया (प्रांत संगठक) एवं श्री ओंकार सिंह (जिला संघचालक, अम्बाला) रहे। मंच संचालन अम्बाला जिला संयोजक श्री जोगिंदर रोहिल्ला द्वारा किया गया। कार्यक्रम में जिला अम्बाला के विभिन्न व्यापारी, संघ के कार्यकर्ता एवं स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

सर्वप्रथम मुख्यातिथि, विशिष्ट अतिथि एवं अन्य अतिथियों द्वारा भारत माता, राष्ट्रऋषि दत्तोपंत ठेंगड़ी जी एवं शहीद बाबू गेनू जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि का अंगवस्त्र एवं श्रीफल देकर स्वागत किया गया। तत्पश्चात् विशिष्ट अतिथि श्री कुलदीप पूनिया ने स्वदेशी जागरण मंच द्वारा किए जा रहे कार्यों एवं कार्यकर्ताओं की भूमिका के विषय पर विचार रखे। मुख्यातिथि ने स्वदेशी की विकास यात्रा और देशभर में चल रहे स्वदेशी आंदोलन, लोगों की स्वदेशी के प्रति जागरूकता को सबके समक्ष रखा। उन्होंने स्वदेशी जागरण मंच द्वारा चलाए जा रहे निधि समर्पण अभियान जो कि वर्ष में एक बार स्वदेशी जागरण मंच के वर्ष भर के खर्च को वहन करने हेतु चलाया जाता है, की जानकारी सभी को दी एवं सभी से अपने सामर्थ्य अनुसार समर्पण हेतु आग्रह किया। श्री ओंकार सिंह ने स्वदेशी जागरण मंच द्वारा किए जा रहे कार्यों पर अपने विचार व्यक्त किए। इसके बाद सभी उपस्थित प्रतिभागियों द्वारा अपने सामर्थ्य अनुसार समर्पण राशि की घोषणा की गई।

मजबूत हो ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरताः एसजेएम

मध्य–पूर्व में अमेरिका–इज़राइल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष के वैश्विक प्रभावों को लेकर स्वदेशी जागरण मंच (एसजेएम) ने चिंता व्यक्त करते हुए भारत में ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। संगठन ने कहा कि युद्ध जैसी परिस्थितियों के कारण तेल, गैस, उर्वरक तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों और आपूर्ति पर असर पड़ रहा है, जिससे बाजार में अनिश्चितता का माहौल बन गया है।

स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह–संयोजक डॉ. अश्वनी महाजन द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि संभावित कमी की आशंका के चलते कुछ जगहों पर जमाखोरी और घबराहट में खरीदारी (पैनिक बाइंग) की स्थिति देखी जा रही है। एलपीजी सिलेंडरों की दैनिक बुकिंग, जो सामान्यतः 55 से 60 लाख के बीच रहती थी, बढ़कर 75 से 88 लाख प्रतिदिन तक पहुंच गई है। वहीं पेट्रोल की मांग में भी तेज उछाल दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश में एक ही दिन में पेट्रोल की मांग 46 प्रतिशत बढ़ने का उल्लेख किया गया है।

विज्ञप्ति में कहा गया कि देश में पेट्रोल, डीजल और गैस का पर्याप्त भंडार मौजूद है तथा सरकार के कूटनीतिक प्रयासों से आपूर्ति जारी है, बावजूद इसके अफवाहों के कारण कृत्रिम कमी की स्थिति बन रही है। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि मध्य–पूर्व तनाव और बढ़ता है तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के जरिए होने वाली आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, जिससे वैश्विक महंगाई और आर्थिक मंदी का खतरा बढ़ सकता है।

स्वदेशी जागरण मंच ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों ने भारत की आयात पर निर्भरता की कमजोरियों को उजागर किया है। भारत अपनी तेल जरूरतों का लगभग 88 प्रतिशत और गैस का करीब 50 प्रतिशत आयात करता है, जिसे दीर्घकाल में कम करना आवश्यक है। संगठन ने सौर, पवन, परमाणु ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को तेजी से अपनाने की जरूरत बताई।

मंच ने नागरिकों से अपील की कि वे केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें, अफवाहें न फैलाएं, राष्ट्रीय एकता बनाए रखें तथा पेट्रोल–डीजल और गैस की बचत करते हुए वैकल्पिक ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दें। संगठन का मानना है कि सरकार, उद्योग और नागरिकों के संयुक्त प्रयास से ही 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य को मजबूती मिल सकती है।

https://khabarnext.com/news.php?id=sjm-1-612740

स्वदेशी जागरण मंच ने किया 'श्री अन्न व्यंजन महोत्सव' का आयोजन

स्वदेशी जागरण मंच द्वारा स्वदेशी के प्रचार–प्रसार हेतु पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इस क्रम में आंदोलन, रैली, विचार–वर्ग, सम्मेलन तथा स्वदेशी मेले जैसे आयोजन किए जाते हैं। साथ ही मिलेट्स (मोटे अनाज) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मंच निरंतर प्रयासरत है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ जीवन जी सके। इसी उद्देश्य से प्रति वर्ष "श्री अन्न व्यंजन महोत्सव" का आयोजन किया जाता है।

इस क्रम में जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित स्थानीय स्वदेशी जागरण मंच कार्यालय में "श्री अन्न महोत्सव" का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आभा महतो एवं मीरा मुंडा उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच मिलेट्स (मोटे अनाज) के उपयोग के प्रति जागरूकता फैलाना था। इस अवसर पर जमशेदपुर के विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 35 महिलाओं ने भाग लिया। सभी प्रतिभागी महिलाएं रागी, ज्वार, बाजरा, सावां, मक्का, कोदो, चीना आदि अनाजों से बने विविध व्यंजनों के साथ उपस्थित हुईं। उन्होंने इन व्यंजनों के पोषण संबंधी लाभों की विस्तृत जानकारी भी साझा की। कार्यक्रम में स्वदेशी जागरण मंच के पदाधिकारी एवं सदस्य भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान मीरा मुंडा ने कहा कि मंच द्वारा लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पोषक तत्वों से भरपूर मिलेट्स के सेवन के प्रति जागरूकता फैलाने का अभियान चलाया जा रहा है।

उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने विभिन्न संबोधनों में जन–जन के बेहतर पोषण और स्वास्थ्य के लिए मिलेट्स (ज्वार, बाजरा, रागी) को अपनाने पर जोर दिया है। इस अवसर पर आभा महतो ने कहा कि मोटे अनाज भारत की प्राचीनतम फसलों में से एक हैं, जिनके प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में भी मिलते हैं। उन्होंने कहा कि आज भारतीय संस्कृति और भोजन को विदेशों में भी अपनाया जा रहा है। भारत को सशक्त और स्वस्थ बनाने में महिला ओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने स्वदेशी जागरण मंच से मोटे अनाज के प्रचार–प्रसार को और अधिक गति देने का आह्वान किया।

स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय पर्यावरण प्रमुख श्री बंदेशंकर सिंह ने कहा कि हमारे देश की भूमि मोटे अनाज के उत्पादन के लिए अत्यंत उपजाऊ है और वर्तमान समय में विकसित देशों में भी इनकी मांग तेजी से बढ़ रही है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खादी ग्रामोद्योग के पूर्व सदस्य श्री मनोज कुमार सिंह ने अन्न महोत्सव की विस्तृत जानकारी दी तथा मोटे अनाज के विशेष गुणों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में विषय प्रवेश डॉ. अनिल राय ने किया, जबकि मंच संचालन पंकज कुमार सिंह ने किया। इस अवसर पर लगभग 35 महिलाओं द्वारा बनाए गए व्यंजनों का विवरण संगीता श्रीवास्तव ने प्रस्तुत किया तथा धन्यवाद ज्ञापन जिला संयोजक श्रीमती राजपति देवी ने किया। कार्यक्रम में जटाशंकर पांडे, श्रीमती मंजू ठाकुर, अमित मिश्रा, सरोज सिन्हा, आशा सिंह, ममता सिंह, जे.के.एम. राजू, संजीत सिंह, के.पी. चौधरी, आभा कुमारी, रजनी ठाकुर, अंजू सिंह, नीतु सिंह, जे. हेमा, किरणजीत कौर, शारदा सिंह, दुर्गा सैनी, कंचन सिंह, चंदना रानी, प्राची, स्मिता, शकुंतला देवी, सुशीला नायर, कविता जेना, राजाराम, अभिषेक बजाज, संजीत प्रमाणिक, मनोज सखुजा, रमेश कुमार सहित बड़ी संख्या में स्वदेशी समर्थक उपस्थित थे।

https://sharpbharat.com/information/jamshedpur-swadeshi-jagran-manch-jamshedpur-swadeshi-jagran-manch-the-swadeshi-jagran-manch-organized-the-shri-anna-culinary-festival-to-promote-the-consumption-of-coarse-grains-showcasing-a-variety-o/595829/

व्यापारी जुटान में स्वदेशी के विस्तार और आर्थिक हालात पर मंथन

स्वदेशी को बढ़ावा देने और वर्तमान आर्थिक हालात पर मंथन के लिए लखनऊ में एक अहम गोष्ठी आयोजित की गई। यह कार्यक्रम स्वदेशी जागरण मंच, स्वावलंबी भारत अभियान, अवध प्रांत, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल और उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल के सहयोग में किया गया । आयोजन दारुलशफा स्थित व्यापार मंडल के मुख्यालय में किया गया, जहां बड़ी संख्या में व्यापारी और पदाधिकारी मौजूद रहे।

गोष्ठी में मुख्य वक्ता स्वदेशी जागरण मंच के सह संगठक श्री सतीश कुमार ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने का सबसे मजबूत रास्ता स्वदेशी ही है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाकर उन्हें वैश्विक बाजार में पहुंचाना समय की जरूरत है। उन्होंने व्यापारियों से अपील की कि वे सिर्फ घरेलू बाजार तक

सीमित न रहें, बल्कि निर्यात के अवसरों को भी अपनाएं।

श्री सतीश कुमार ने वर्तमान आर्थिक चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि हालात चाहे जैसे भी हों, देश का व्यापारी वर्ग मजबूत है और इन परिस्थितियों का डटकर सामना करेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि एकजुटता के दम पर हर चुनौती पर जीत हासिल की जा सकती है।

इस दौरान 'स्वदेशी व्यापारी जुटान' के गठन की जानकारी भी दी गई। बताया गया कि इसका उद्देश्य देशभर के व्यापारियों को एक मंच पर लाकर स्वदेशी और राष्ट्र प्रथम की भावना को मजबूत करना है। इसके राष्ट्रीय सह संयोजक के रूप में व्यापार मंडल के अध्यक्ष संदीप बंसल को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जल्द ही सभी जनपदों में इसके संयोजक नियुक्त किए जाएंगे।

कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री संदीप बंसल और क्षेत्र संगठन मंत्री श्री अनुपम श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। महानगर अध्यक्ष सुरेश छाबलानी ने कहा कि स्वदेशी विचारधारा को जन–जन तक पहुंचाना और स्थानीय व्यापार को मजबूत करना ही इस पहल का मुख्य लक्ष्य है।गोष्ठी में शहर के कई प्रमुख व्यापारी और संगठन से जुड़े लोग शामिल हुए। सभी ने एक स्वर में स्वदेशी अपनाने और स्थानीय उद्योग को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया।

https://www.bhaskar.com/g/local/uttar-pradesh/lucknow/news/swadeshi-jagran-manch-lucknow-discuss-economic-situation-2026-137614613.html

युद्ध की लपटों ने पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में लियाः डॉ.महाजन

'युद्ध से उत्पन्न चुनौतियाँ और आगे का रास्ता' को लेकर स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह–संयोजक प्रो. अश्वनी महाजन ने कहा कि मध्य–पूर्व क्षेत्र में एक अभूतपूर्व स्थिति के कारण, जो एक तरफ अमेरिका और इजराइल, और दूसरी तरफ ईरान के बीच संघर्ष से उत्पन्न हुई है, युद्ध की लपटों ने पूरे क्षेत्र के देशों को अपनी चपेट में ले लिया है। इसका न केवल गैस और तेल, उर्वरक और अन्य आवश्यक सामग्रियों की कीमतों और आपूर्ति पर असर पड़ा है, बल्कि इससे शरारती तत्वों को भी स्थिति का फायदा उठाने का मौका मिल गया है, वे भविष्य में कमी की आशंका के मद्देनजर इन सामग्रियों की जमाखोरी कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने लोगों को यह भरोसा दिलाया है कि वह तेल और गैस की कीमतें बढ़ने नहीं देगी, फिर भी बड़े पैमाने पर फैली घबराहट के चलते लोग एलपीजी और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के लिए कतारों में खड़े हो रहे हैं। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि एलपीजी सिलेंडरों की औसत दैनिक बुकिंग जो 55 से 60 लाख थी, अचानक बढ़कर प्रतिदिन 75 से 88 लाख हो गई है। इसी तरह, पेट्रोल की मांग में भी काफी उछाल आया है। समझा जा सकता है कि स्थिति बहुत अनिश्चित है और यह पता नहीं है कि युद्ध कब समाप्त होगा। हालाँकि, वर्तमान में भारत 'होरमुज जलडमरूमध्य' के रास्ते पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति प्राप्त करने में सक्षम है, लेकिन यदि युद्ध और अधिक भड़कता है, तो आपूर्ति पर बुरा असर पड़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी युद्ध के कारण उत्पन्न हो रही इन सभी चुनौतियों की ओर संकेत किया है।

प्रो. महाजन ने कहा कि स्वदेशी जागरण मंच एक आत्मनिर्भर भारत की नींव को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है और सभी हितधारकों, सरकार, उद्योग और नागरिकों इस दिशा में मिलकर काम करने का आह्वान करता है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि यद्यपि वैश्विक परस्पर निर्भरता एक वास्तविकता है, फिर भी दुनिया में किसी भी उथल–पुथल का हमारी अर्थव्यवस्था के सुचारू कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। वावजूद इसके इस स्थिति में स्वदेशी जागरण मंच देशभक्त नागरिकों से भी अपील किया है कि केवल सत्यापित और आधिकारिक सूचना स्रोतों पर ही भरोसा करें। असत्यापित संदेशों और अफवाहों को आगे भेजने से बचें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखें और देश के व्यापक हित में जिम्मेदारी से कार्य करें। आने वाले दिनों में, जितना हो सके पेट्रोल, गैस और डीजल बचाएँ, और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करें। नागरिकों का यह सामूहिक प्रयास देश को इस कठिन परिस्थिति से उबरने में मदद कर सकता है।

कौशल–स्वावलंबन से जुड़े भारतीय युवा

स्वदेशी जागरण मंच के निधि संग्रह अभियान के तहत ज्योतिष संस्थान, अलोपीबाग (प्रयागराज) में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे मंच के अखिल भारतीय सह संयोजक डॉ. राजीव कुमार महर्षि भृगु ने कहा कि संगठन प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बेरोजगारी मुक्त, रोजगार युक्त एवं स्वावलंबी भारत बनाने का अभियान चलाता है। मंच का प्रयास उस नैरेटिव को तोड़ना है जिसमें रोजगार का अर्थ केवल सरकारी नौकरी बना दिया गया है। आज पुनः भारत के युवाओं को कौशल स्वावलंबन से जोड़ना है।

कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. वीके सिंह ने की। उनका अभिनंदन करने वालों में प्रांत संयोजक डॉ. अखिलेश त्रिपाठी, मेला प्रमुख डॉ. अरुण कुमार, डॉ. अश्विनी द्विवेदी, प्रभात, डॉ. भावेश, अनुपम, धर्मेंद्र, राजीव, नीलम त्रिपाठी, भूपेंद्र, धीरज, नीरज, आदर्श आदि उपस्थित थीं। ❑❑

स्वदेशी गतिविधियां

स्वदेशी कार्यक्रम

सचित्र झलक

त्रिपुरा

उत्तर असम

गुरुचरण विश्वविद्यालय, सिलचर (असम)

अगरतला (त्रिपुरा)

स्वदेशी पत्रिका डाक तिथि 15–16 अप्रैल 2026
एल.पी.सी. दिल्ली, दिल्ली पी.एस.ओ., दिल्ली आर.एम.एस. दिल्ली–06
प्रकाशन तिथि : प्रत्येक माह 10 तारीख

डाक पंजी. संख्या DL-SW/01/4074/2024-26
रजि. आर.एन.आई. पंजी. संख्या 64697/96

स्वदेशी गतिविधियां

निधि समर्पण अभियान

सचित्र झलक

अंबाला (हरियाणा)

शाहजहांपुर (बृज)

कुल्लू (हि.प्र.)

अमृतसर (पंजाब)

पठानकोट (पंजाब)

मुरादाबाद (उ.प्र.)

वाराणसी (उ.प्र.)

प्रकाशक व मुद्रक डॉ. अश्वनी महाजन द्वारा स्वदेशी जागरण समिति के लिए काम्पीटेंट बाईन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली से मुद्रित और धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, रामाकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022 से प्रकाशित, संपादकः अजेय भारती